राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 703वी बैठक दिनांक 30.01.2022 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 703वी बैठक दिनांक 30.01.2022 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री श्रीमन् शुक्ला, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

क्र.	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित / परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	7212/2020	1(a) B-1	पत्थर खनन	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
2.	7213/2020	1(a) B-1	पत्थर खनन	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
3.	8867/2021	1(a) B-2	पत्थर खनन	ToR	ToR Approved
4.	8868/2021	1(a) B-2	पत्थर खनन	ToR	ToR Approved
5.	8869/2021	1(a) B-2	पत्थर व मुरूम खनन	ToR	ToR Approved
6.	8879/2021	5(f) B-2	एपीआई / फार्मासिटिकल यूनिट	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
7.	8871/2021	1(a) B-2	पत्थर खनन	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
8.	8872/2021	1(a) B-2	पत्थर खनन	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	~~स्वीकृत~~ निरस्त
9.	8875/2021	1(a) B-2	पत्थर खनन	ToR	ToR Approved
10.	8876/2021	1(a) B-2	मुरूम खनन	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
11.	8878/2021	1(a) B-2	पत्थर खनन	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
12.	8866/2021	1(a) B-2	पत्थर खनन	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
13.	8870/2021	1(a) B-2	फर्सी पत्थर खनन	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
14.	8681/2021	1(a) B-2	पत्थर खनन	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण सहित प्रस्तुतीकरण
15.	7964/2020	1(a) B-2	पत्थर खनन	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण सहित प्रस्तुतीकरण
16.	8760/2021	1(a) B-2	पत्थर खनन	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
17.	5698/2018	8(a) B-1	बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट	-	ToR अवधि विस्तार अनुमोदित
18.	5697/2018	8(a) B-1	बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट	-	ToR अवधि विस्तार अनुमोदित
19.	8733/2021	8(a) B-2	अस्पताल / नर्सिंग होम	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

20.	8739/2021	8(a) B-2	बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
21.	2811/2015	1(a) B-2	पत्थर खनन	पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्पष्टीकरण
22.	8849/2021	1(a) B-2	पत्थर खनन	पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्पष्टीकरण
23.	6136/2019	1(a) B-2	पत्थर खनन	पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्पष्टीकरण
24.	8729/2021	1(a) B-2	पत्थर खनन	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सम्मिलित अतिरिक्त कार्यबिन्दु (एजेण्डा):–					
25.	8765/2021	1(a) B-2	रेत खनन	पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	हस्तांतरण स्वीकृत
26.	3083/2015	1(a) B-2	रेत खनन	पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	हस्तांतरण स्वीकृत
27.	5431/2016	1(a) B-2	रेत खनन	पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	हस्तांतरण स्वीकृत
28.	5477/2016	1(a) B-2	रेत खनन	पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	हस्तांतरण स्वीकृत

1. **प्रकरण क्र. 7212/2020 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एम.सी.सी., महादेव कन्स्ट्रक्शन लि. प्रा., पार्टनर श्री अनिल कुमार सिंह, निवासी – बी. 27/70, द्वितीय तल, बरहर कोठी–गुरूधाम चौराहा, दुर्गा कुड, वाराणसी (उ.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 43,482 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.50 हेक्टेयर, खसरा 6/3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, ग्राम सरदमन, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 540वी बैठक दिनांक 08.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण की नस्ती में प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेजों का अवलोकन एवं परीक्षण करने के दौरान निम्न स्थिति पाई गई :–

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडलाधिकारी, वनमण्डल जिला रीवा के पत्र क्र. 7088 दिनांक 01.08.2019 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैव विविधता क्षेत्र 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र भी 250 मी. की परिधि के अंदर (219 मीटर) स्थित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता मे गठित समिति की बैठक दिनांक 01.03.2019 अनुमति प्राप्त की गई है।
2. **लीज संबंधी विवरण** – लीज डीड दिनांक 06.12.2019 के माध्यम से 10 वर्ष (28.05.2020 से 27.05.2030) तक के लिये खदान स्वीकृत की गई है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

3. **जल आपूर्ति** –परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.8 किलो लीटर प्रतिदिन है (1.3 केएलडी पीने/घरेलू कार्य + 1.5 केएलडी हरित पट्टी विकास + 3.0 केएलडी धूल धमन हेतु), जिसकी पूर्ति कुऐं/वाटर टैंकर के माध्यम से की जायेगी।
4. **वृक्षारोपण कार्य**–परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2.5 फिट उंचाई के तेज बढ़ने वाले घने छावदार, सदाबाहर कुल 2250 पेड लीज क्षेत्र के चारो ओर, बेरियर जोन एवं परिवहन मार्ग इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे।
5. **जनसुनवाई** –उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 25.03.2021 को लीज़ क्षेत्र ग्राम सरदमन, तहसील हनुमना, जिला रीवा में अपर कलेक्टर, जिला रीवा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 540वी बैठक दिनांक 08.01.2022 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **दोनो कच्ची सड़क से प्रस्तावित खदान क्षेत्र की सीमा तक न्यूनतम 50 मीटर तक** "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 500 मीटर लम्बी एवं 20 मीटर चौड़ी पहुच मार्ग सड़क को पक्का (टॉर रोड) किया जायेगा एवं उसका नियमित रूप से रखरखाव किया जायेगा।

III. परियोनजा प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित सेटलिंग टैंक के अतिरिक्त दो अन्य सेटलिंग टैंक ढलान की दिशा में निर्माण किया जायेगा एवं उसका नियमित रूप से साफ सफाई करेगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (जी.आई. शीट) 4 मीटर ऊंचाई तक की स्थापना लीज क्षेत्र के चारो ओर की जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज पटटा क्षेत्र में जीवित 09 पेड़ो में से 7.5 मीटर बैरियर जोन के 04 पेड़ो को नही काटेगा तथा खनन क्षेत्र के 05 पेड़ो को सक्षम प्रधिकरण से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही काटेगा एवं इसके एवज में 50 पेड़ वन अधिकारी के परामर्श अनुसार लगाये जायें।

VI. परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी क्षेत्र से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

VIII. क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के पर्यावरण प्रबंधन हेतु संबंधित समस्त पट्टा धारकों के साथ समन्वय कर क्लस्टर प्रभावी क्षेत्र में नियमित रूप से शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।

IX. परियोजना प्रस्तावक संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता मे गठित समिति की अनुशंसा दिनांक 01.03.2019 में अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करेगा।

X. परियोजना प्रस्तावक द्व ारा एल तरंगों (L Waves) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

XI. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

XII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम तीन वर्षो में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 2250 पौधे जैसे खमार, कचनार, चार, शिशम, बेल, खेर, चिरूल, नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज, कटंग बांस, अमलतास, नींबू, पपीता, मुनगा करोंदा, सीताफल, जंगल जलेबी, गिलोय, तुलसी, एलोबेरा आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड एवं मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी।

XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- चरनोई क्षेत्र विकास के तहत 1.5 हेक्टयर में चरागाह विकसित करने हेतु वन मंडलाधिकारी के परामर्श से वास्तविक लागत अनुसार प्रति हेक्टेयर राशि रू. 10,000 वन विभाग मे जमा किया जायें ।
- आधारभूत संरचना विकास के तहत सरदमन में पीने के पानी की व्यवस्था हेतु 01 बोरबेल की व्यवस्था हैण्ड पम्प सहित की जायें ।
- ग्राम सरदमन के शासकीय स्कूल की बाउड्रीवाल एवं रंग रोगन का कार्य किया जायेगा।
- स्थायी आजीवीका के तहत ग्राम सरदमन के 29 ग्रामवासियों को रोजगार एवं निर्धारित शासकीय दर से मजदूरी प्रदान करेगा।
- ग्रामवासियों के स्वास्थ्य हित के लिये सैनिटाईजर, मास्क का वितरण करेगा।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एम.सी.सी., महादेव कन्स्ट्रक्शन लि. प्रा., पार्टनर श्री अनिल कुमार सिंह, निवासी – बी. 27/70, द्वितीय तल, बरहर कोठी–गुरूधाम चौराहा, दुर्गा कुड, वाराणसी (उ.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 43,482 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.50 हेक्टेयर, खसरा 6/3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, ग्राम सरदमन, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा द्वारा निष्पादित लीजडीड दिनांक 06.12.2019 के माध्यम से उक्त खदान दिनांक 28.05.2020 से 27.05.2030 तक की स्वीकृति की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 27.05.2030 तक वैध मान्य रहेगी।

2. प्रकरण क्र. 7213/2020 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एम.सी.सी., महादेव कन्स्ट्रक्शन लि. प्रा., पार्टनर श्री अनिल कुमार सिंह, निवासी – बी. 27/70, द्वितीय तल, बरहर कोठी–गुरूधाम चौराहा, दुर्गा कुंड, वाराणसी (उ.प्र)–221005 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 82143 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.429 हेक्टेयर, खसरा 10/2, 11/1, 11/2, 11/3, 12/1, 12/2, 12/3, ग्राम सरदमन, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 540वी बैठक दिनांक 08.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण की नस्ती में प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेजों का अवलोकन एवं परीक्षण करने के दौरान निम्न स्थिति पाई गई :–

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडलाधिकारी, वनमण्डल जिला रीवा के पत्र क्र. 7091 दिनांक 01.08.2019 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैव विविधता क्षेत्र 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र भी 250 मी. की परिधि के अंदर (150 मीटर) स्थित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता मे गठित समिति की बैठक दिनांक 05.03.2019 अनुमति प्राप्त की गई है।
2. **लीज संबंधी विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला रीवा द्वारा उक्त खदान का दिनांक 28.05.2020 से 27.05.2030 तक की अवधि हेतु लीजडीउ निष्पादित की गई है।
3. **जल आपूर्ति** –परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.4 किलो लीटर प्रतिदिन है (1.3 केएलडी पीने/घरेलू कार्य + 1.8 केएलडी हरित पट्टी विकास + 4.3 केएलडी धूल धमन हेतु), जिसकी पूर्ति कुऐं/वाटर टैंकर के माध्यम से की जायेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

4. **वृक्षारोपण कार्य**–परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2.5 फिट उंचाई के तेज बढ़ने वाले घने छावदार, सदाबाहर कुल 3700 पेड लीज क्षेत्र के चारो ओर, बेरियर जोन एवं परिवहन मार्ग इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे।

5. **जनसुनवाई** –उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 25.03.2021 को लीज़ क्षेत्र ग्राम सरदमन, तहसील हनुमना, जिला रीवा में अपर कलेक्टर, जिला रीवा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 540वी बैठक दिनांक 08.01.2022 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले सीपीसीबी द्वारा जारी दिशा–निर्देशों एवं माननीय एनजीटी (Principle Bench) नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में **मानव बसाहट एवं पक्की सड़क से 200 मीटर तथा ग्रामीण सड़क से 50 मीटर तक** " नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 500 मीटर लम्बी एवं 20 मीटर चौड़ी पहुच मार्ग सड़क को पक्का (टॉर रोड) किया जायेगा एवं उसका नियमित रूप से रखरखाव किया जायेगा।

III. परियोनजा प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित सेटलिंग टैंक के अतिरिक्त दो अन्य सेटलिंग टैंक ढलान की दिशा में निर्माण किया जायेगा एवं उसका नियमित रूप से साफ सफाई करेगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (जी.आई. शीट) 4 मीटर ऊंचाई तक की स्थापना लीज क्षेत्र के चारो ओर की जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज पटटा क्षेत्र में जीवित 08 पेड़ो में से 7.5 मीटर बैरियर जोन के 05 पेड़ो को नही काटेगा तथा खनन क्षेत्र के 03 पेड़ो को सक्षम प्रधिकरण से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही काटेगा एवं इसके एवज में 30 पेड़ वन अधिकारी के परामर्श अनुसार लगाये जायें।

VI. परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी क्षेत्र से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

VIII. क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के पर्यावरण प्रबंधन हेतु संबंधित समस्त पट्टा धारकों के साथ समन्वय कर क्लस्टर प्रभावी क्षेत्र में नियमित रूप से शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।

IX. परियोजना प्रस्तावक संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता मे गठित समिति की अनुशंसा दिनांक 05.03.2019 में अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करेगा।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Waves) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

XI. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

XII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

XIII. परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी क्षेत्र से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।

XV. क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के पर्यावरण प्रबंधन हेतु संबंधित समस्त पट्टा धारकों के साथ समन्वय कर क्लस्टर प्रभावी क्षेत्र में नियमित रूप से शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।

XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम तीन वर्षो में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 3700 पौधे जैसे खमार, कचनार, चार, शिशम, बेल, खेर, चिरूल, नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज, कटंग बांस, अमलतास, नींबू, पपीता, मुनगा करोंदा, सीताफल, जंगल जलेबी, गिलोय, तुलसी, एलोबेरा आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड एवं मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी।

XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- चरनोई क्षेत्र विकास के तहत 2.429 हेक्टयर में चरागाह विकसित करने हेतु वन मंडलाधिकारी के परामर्श से वास्तविक लागत अनुसार प्रति हेक्टेयर राशि रू. 10,000 वन विभाग मे जमा किया जायें ।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- आधारभूत संरचना विकास के तहत सरदमन में पीने के पानी की व्यवस्था हेतु 01 बोरबेल की व्यवस्था हैण्ड पम्प सहित की जायें ।
- ग्राम सरदामन के शासकीय स्कूल की बाउड्रीवाल एवं रंग रोगन का कार्य किया जायेगा।
- स्थायी आजीवीका के तहत ग्राम सरदामन के 29 ग्रामवासियों को रोजगार एवं निर्धारित शासकीय दर से मजदूरी प्रदान करेगा।
- ग्रामवासियों के स्वास्थ्य हित के लिये सैनिटाईजर, मास्क का वितरण के साथ–साथ स्वास्थ्य शिविर एवं आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायेगा।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एम.सी.सी., महादेव कन्स्ट्रक्शन लि. प्रा., पार्टनर श्री अनिल कुमार सिंह, निवासी – बी. 27/70, द्वितीय तल, बरहर कोठी–गुरूधाम चौराहा, दुर्गा कुंड, वाराणसी (उ. प्र)–221005 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 82143 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.429 हेक्टेयर, खसरा 10/2, 11/1, 11/2, 11/3, 12/1, 12/2, 12/3, ग्राम सरदमन, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा द्वारा निष्पादित लीजडीड दिनांक 06.12.2019 के माध्यम से उक्त खदान दिनांक 28.05.2020 से 27.05.2030 तक की स्वीकृति की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 27.05.2030 तक वैध मान्य रहेगी।

3. प्रकरण क्र. 8867/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री विष्णु सिंह, खदान मालिक, निवासी 22, धार रोड़, जवाहर टेकरी, सिहांसा, जिला इंदौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता रॉम – 21054, पत्थर – 20000 एवं मुरूम ओवरवर्डन के रूप में 1052 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 62/1/2/1, ग्राम रंगवासा, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर (म. प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 540वी बैठक दिनांक 08.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the district survey report (DSR) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

4. प्रकरण क्र. 8868/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री नारायण लाल आत्मज श्री जीवन लाल, खदान मालिक, निवासी – 2 बालदा कॉलोनी, नई पत्ती, जिला इंदौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता रॉम – 21054, पत्थर – 20000 एवं मुरूम ओवरवर्डन के रूप में 1052 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 62/1/2/1, ग्राम रंगवासा, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 540वी बैठक दिनांक 08.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the district survey report (DSR) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(i) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

5. प्रकरण क्र. 8869/2021 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बालाजी डेवलपर्स, पार्टनर, श्री सुमित मित्तल, निवासी 301, पुखराज कॉर्पोरेट, जिला इंदौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता रॉम – 94737, पत्थर – 90000 एवं मुरूम ओवरवर्डन के रूप में 4736 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 2554, 2555, 2556, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566/1, 2566/2, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, ग्राम कम्पेल, तहसील खुडैल, जिला इंदौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 540वी बैठक दिनांक 08.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the district survey report (DSR) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(i) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

6. **Case No 8879/2021:** Prior Environment Clearance for proposed Manufacturing of API-Bulk Drug & Intermediates with production capacity of 200 Tonne per month (2400 TPA) at Plot No. UD-2, Village - Chirakhan, Pithampur Industrial Area, AKVN, Near Ramkey, Tehsil - Depalpur, Dist. Dhar (MP) by M/s Siddhanta Pharma Pvt. Ltd, Dr. Subodh Varsheny, M-156, Gautam Nagar, Dist. Bhopal, MP - 462023 Email: subodhvarshney@rediffmail.com Ph:09826078994 Envt. Consultant: Creative Enviro Services

1. The project is proposed for Manufacturing of API-Bulk Drug & Intermediates production capacity of 2400 TPA (200 Tonne per month) at Plot No. UD-2, Village - Chirakhan, Pithampur Industrial Area, AKVN, Near Ramkey, Tehsil - Depalpur, Dist. Dhar (MP) The project proponent is M/s. Siddhanta Pharma Pvt Ltd (SPPL)
2. The proposed project is covered under 5 (f) category (B) of the schedule of EIA Notification issued by the Ministry of Environment & Forests vide S.O.1533 (E), dtd. 14.09.2006 and its amendments hence is required to obtain prior EC. In the context of pandemic COVID -19, GoI'sMoEF&CC issued Notification dtd. 27.03.2020 and further amendments dtd.16.07.21 for considering the API & Bulk drug Projects as B-2 category.
3. There is no interstate boundary within 05 km and no National park, Sanctuary and Eco-sensitive areas within 05 km of the project area (DFO leter dtd. 17.12.21) hence General condition are not attracted.
4. The case was discussed in 540thSEAC meeting dated 08.01.2022 and is recommended for grant of prior EC subject to special conditions.
5. After the recommendation today the case was scheduled in SEIAA meeting dtd. and recorded that:-
   i. The project occupies a plot Area of 30620 m^2 of land. Regarding land documents PP has submitted registered lease deed dated. 24.06.2021 executed between MPIDC regional office, Indore and M/s Siddhanta Pharma Pvt Ltd. The land use breakup of the project area is as follows:-

S. No.	Particular/Purpose	Area (Sq. M.)	% of land
1.	Build up Area production block	5600	18.29%
2.	RM store	1200	3.92%

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

3.	Finished good /QA QC area	555	1.81%
4.	Admin block/Canteen	555	1.81%
5.	Utility /Auxilary	1332	4.35%
6.	ETP/MEE	700	2.63%
7.	Internal Road	5340	17.44%
8.	Green belt	10528	34.38%
9.	Open land	4810.75	15.71%
Total Area		**30620**	**100.00%**

ii. Proposed production capacity of API/Bulk Drug & Intermediates will be 2400 TPA

Group No.	Sr. No	Chemical Name of the product	CAS No.	Qty (TPA)	Type/Category of Product	End Use
		Anti Diabetic Drug & Intermediate				
A	1	Alogliptin	850649-62-6	250	API	Anti diabetic drug
	2	Canagliflozin	842133-18-0		API	Treatment of dibetes
	3	Empagliflozine	864070-44-0		API	treatment of type 2 diabetes
	4	**Gliclazide**	21187-98-4		API	treatment of type 2 diabetes
	5	Glimepride	93479-97-1		API	Anti dibetic
	6	Vildagliptin and intermediate	274901-16-5.		API	antidiabetic agent
	7	Sitagliptin	486460-32-6		API	Antihypeglycemic
	8	Saxagliptin	361442-04-8		API	hypoglycemic
	9	Tenlegliptin	1572583-29-9		API	antidiabetic agent
	10	Voglibose	83480-29-9		API	Antidibetic
	11	Dapagliflizin	461432-26-8		API	Anti-dibetic
	12	pioglitazone	111025-46-8		API	Anti-dibetic
	13	Linagliptin	668270-12-0		API	Anti-dibetic
	14	Semaglutide	910463-68-2		API	Anti-dibetic
B		**Hypertensive / blood pressure Drug and Intermediate**		250		
	1	Valsartan	37862-53-4		API	Treatment of hypertension
	2	Chlorthalidone and intermediate	77-36-1		API	Slowing the production of cholesterol
	3	Rosuvastatin Calcium	147098-20-2		API	anti-hypertensive
	4	cilnidipine	132203-70-4		API	High , Blood

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

Group No.	Sr. No	Chemical Name of the product	CAS No.	Qty (TPA)	Type/Category of Product	End Use
						Pressure
	5	Olmesartan	144689-63-4		API	For pulmonary arterial hypertension
	6	Ambrisentan	177036-94-1		API	To treat high blood pressure
	7	Telmisartan	144701-48-4		API	To treat high blood pressure
	8	Ramipril	87333-19-5		API	To treat high blood pressure
	9	Benidipine	91599-74-5		API	To treat high blood pressure
	10	Torsemide	56211-40-6		API	To treat high blood pressure
	11	Lisinopril	83915-83-7		API	To treat high blood pressure
C		**Antiviral Drug & Intermediate**		100		
	1	Abacavir sulphate and Intermediate	188062-50-2		API	Antiviral Drug
	2	Dolutegravir	1051375-16-6		API	Antiviral Drug
	3	Ritonavir	155213-67-5		API	Antiviral Drug
	4	Sofosbuvir	1190307-88-0		API	Antiviral Drug
	5	Tenofovir	202138-50-9		API	Antiviral Drug
	6	Rilpvirine	500287-72-9		API	Antiviral Drug
	7	Favipiravir	259793-96-9		API	Antiviral Drug
	8	Darunavir	206361-99-1		API	Antiviral Drug
D		**Other Drug & Intermediate**				
	1	Tamsulosin hydrochloride	106463-17-6	1600	API	prostate gland treatment
	2	Citicoline Sodium	33818-15-4		API	To treat Memory loss due to aging .
	3	Clopidogrel Bisulphate	120202-66-6		API	used to treat the symptoms of acute coronary syndrome such as a stroke
	4	Etorocoxib	202409-33-4		API	Anti inflammation due to rheumatoid

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

Group No.	Sr. No	Chemical Name of the product	CAS No.	Qty (TPA)	Type/Category of Product	End Use
						arthritis, psoriatic arthritis, osteoarthritis, ankylosing spondylitis
	5	Levosulpiride.	23672-07-3		API	Antipsychotic for nausea, vomiting
	6	Luliconazole	187164-19-8		API	Antifungal
	7	Rifaximin	80621-81-4		API	Antibiotic
	8	Benfotiamine	22457-89-2		API	medication or dietary supplement to treat diabetic neuropathy.
	9	Montelukast	158966-92-8		API	Anti asthma& allergic rhinitis
	10	Rifampicin	13292-46-1		API	Anti TB
	11	Mycophenolate	24280-93-1		API	immunosuppressant
	12	Sevelsmer	52757-95-6		API	used to treat hyperphosphatemia
	13	Naproxen	22204-53-1			inflammatory diseases
	14	Jacobsen,s catalyst (N, N'-bis-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride,)	138124-32-0		Intermediate	
	15	Bicyclo ketone	74288-40-7		Intermediate	Imipenam (API) Intermediate
	16	Para nitro benzyl Bromide	100-11-8		Intermediate	Drug Intermediate
	17	5-Dicarboxylic acid	570-22-9		Intermediate	Drug Intermediate
	18	Theophylline	58-55-9		API	used in therapy for respiratory diseases
	19	Salicylic acid	69-72-7		API	used to treat warts, skin tags, calluses, psoriasis, dandruff, acne
	20	1,1-cyclohexane-diacetic acid	99189-60-3		Intermedi	Gabapentin Drug

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

Group No.	Sr. No	Chemical Name of the product	CAS No.	Qty (TPA)	Type/Category of Product	End Use
		& 1,1-cyclohexane-diacetic acid monoamide			ate	intermediate
	21	Paracetamol	103-90-2		API	Fever and pain
	22	Cyanoacetic acid	372-09-8		Intermediate	Pharmaceutical drug Intermediate
	23	Beta Naphthol	135-19-3		Intermediate	Pharmaceutical drug Intermediate
	24	Azithromycin	83905-01-5		API	Antibiotic drug
	25	Gabapentin	60142-96-3		Intermediate	used to treat partial seizures and neuropathic pain
	26	Ascorbic acid	50-81-7		API	Vitamin C
	27	Methylcobalamin	13422-55-4		API	Vitamin
	28	cyanocobalamin	130209-82-4		API	Vitamin
	29	Thiamine	155206-00-1		API	Vitamin B1
	30	Riboflavin	157283-68-6		API	Vitamin B2
	31	Vitamin K27	494-19-9		Intermediate	Vitamin K2
	32	Vitamin K1	32943-25-2		Intermediate	controlling binding of calcium in bones and other tissues
	33	Ketamine	33948-22-0		Intermediate	Anesthetic
	34	Alprazolam	4698-11-7		Intermediate	anti-anxiety
	35	Diazepam	298-46-4		API	Anticonvulsants
	36	Aripiprazole	28721-07-5		API	antipsychotic
	37	Risperidone	303-49-1		API	antipsychotic
	38	N-methyl 2-pyrrolidone	113-52-0		Intermediate	Drug Intermediate
	39	Oxytetracycline	79-57-2		API	Antibiotic
	40	Ferrous ascorabte	24808-52-4		API	Vitamin
	41	Vitamin D3	67-97-0		API	Vitamin
	42	Pyridostigemine Hydrochloride	155-97-5		API	treatment of myasthenia

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

Group No.	Sr. No	Chemical Name of the product	CAS No.	Qty (TPA)	Type/Category of Product	End Use
						gravis and congenital
	43	Bronopol	52-51-7		API	antimicrobial
	44	Citrimide poder	8044-71-1		API	antiseptic
	45	benzalkonium chloride	63449-41-2		API	antimicrobial
	46	Chlorhexadine gluconate	55-56-1		API	used for skin disinfection before surgery
	47	Povidone Iodine	25655-41-8		API	antiseptic used for skin disinfection before and after surgery
	48	cetyltrimethylammonium chloride	112-02-7		API	topical antiseptic
	49	N,N-diethyl-***2-chloro ethyl amine*** hydrochloride.	99 869-24-9		intermediate	Intermediate of cyproheptadine
	50	Matebromo Anisole	104-92-7		Intermediate	Intermediate of Tramadol Hcl
E	**Anticancer Drug and Intermediate**			100		
	1	Capacitabine	154361-50-9		API	**Anticancer**
	2	Dasatinib	302962-49-8		API	**Anticancer**
	3	Emtricitabine	143491-57-0		API	**Anticancer**
	4	Enzalutamide	915087-33-1		API	**Anticancer**
	5	Becalutamide	90357-06-5		API	**Anticancer**
	6	Cytarabine	147-94-4		API	**Anticancer**
	7	***Doxorubicin***	23214-92-8		API	**Anticancer**
	8	Geftinib	184475-35-2		API	**Anticancer**
	9	Imatinib Mesylate	152459-95-5		API	**Anticancer**
	10	Oxaliplatin	63121-00-6		API	**Anticancer**
	11	carboplatin	41575-94-4		API	**Anticancer**
	12	Cisplatin	15663-27-1		API	**Anticancer**
F		Rituximab	174722-31-7	100	API	It is usually used to treat rheumatoid arthritis and osteoarthritis.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

Group No.	Sr. No	Chemical Name of the product	CAS No.	Qty (TPA)	Type/Category of Product	End Use
		Avacopan	1346623-17-3		API	It is used to treat a certain type of arthritis (psoriatic arthritis).
		Process Development and Research Product			API	
	TOTAL		--	2400TPA	--	--

iii. **Salient feature of the Project :-**

S.N.	Component	Status
1	Online Proposal no.	SIA/MP/IND3/246320/2021
2	Google Co-ordinates	Latitude: 22° 38'02.4"N Longitude: 75°41'05.5E
3	Environment Sensitive area from the project site	Nearest National Highway- NH-47 7.9 K.M Nearest city Indore 27 K.M. Nearest Village Chirakhan 2.5 Km Nearest Airport Indore Airport 25.0 Km Nearest Railway station Mhow 8.0 Km Nearest River Sarswati 12.0 Km Archaeological Site None within 10km radius National Park / Wild Life Sanctuary / Marine Sanctuary - None within 10km radius Seismicity Seismic Zone-II
4	Major facilities proposed in the unit	Boiler, MEE, Reactors, Cooling Towers, Effluent Treatment Plant (ETP), and R.O Plant. Facilities like administrative office, parking and greenbelt/plantation.
5	Water Requirement	Total raw water requirement for the proposed project will be 115 KLD fresh and after recycling of 48 KLD , the fresh water requirement will be 67 KLDThe water will be sourced from AKVN Pithampur (MP)
6	Wastewater generation	The total wastewater (59 KLD) generation from the domestic source will be 8 KLD and industrial wastewater generation will be 51 KLD. Process effluent will be segregated into concentrated effluent stream 20 KLD and normal effluent stream (31 KLD).
7	Power Requirement	The total requirement will be 1200 KW. In case of power failure, D.G. of 1000 KVA and 500 KVA will be used as a backup power source Power will be sourced from existing line of 'Madhya Pradesh Madhya Kshetra Vidyut Vitaran Company'.
8	Fuel Requirement	Briquette/Coal for Boilers (2 TPH) Agro Briquette (6 T/day) Briquette/Coal for Boilers (3 TPH) Agro Briquette (8 T/day)

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

9	**Proposed Steam Boiler**	3.0TPH Agro Waste /Briquette 2.0 TPH Agro Waste /Briquette
10	**Project Cost**	The total capital cost for environmental measures is kept as Rs. 175 Lacs (capital cost) is allocated for environmental management systems and the annual recurring cost for the same is Rs 96.30 Lacs
11	**Green belt Area**	approx. 33 % land area is alocated for green belt. The green belt of 5-10 m width shall be developed 10528 sq. meter within and periphery of plant (2200 no), in downward wind direction and along road sides etc
12	**CER**	The proposed CER cost will be 15.0 lacs which will be incurred on skill training development programme. PP shall be conduct CER programme as skill development activity in coordination with of ITI for which budgetary of 10.60 lakhs has been made at Sardarpur & adjoining area and Water facility shall be provided in the Ralamandal Wild Life Sanctuary, Indore for which 04.0 lakhs has been allocated .

iv. Proposed Environmental Measures:

A **Storm Water & Waste Water Management**

- Storm water drainage system shall be developed and shall be maintained preciously to prevent the flow of silt and other contaminant outside of the site
- A drain along the boundary wall shall be made, which will be connected proposed settling tank to protect the flow of contaminant towards nearby area
- Storm water drainage system will be developed for unit and shall be maintained preciously to prevent the flow of silt and other contaminant outside of the site.
- Blow downs from cooling towers, boiler, ACF/MGF Cleaning, Softener regeneration, Vacuum pump will go to ETP
- Water harvesting structure need to provide further strength with proper maintenance
- The entire trade effluent will be divided into two streams i.e. Stream-I (high concentrated streams) and Stream-II (low concentrated stream). Both the streams will be treated in well-designed ETP, RO and MEE.
- The treated effluent will be reused/ recycled and the RO reject (will be sent to above stated MEE followed by ATFD. Thus, unit will maintain Zero discharge.
- High COD / TDS wastewater (consisting process effluent) will be sent to MEE/ATFD. Condensate will be reused and bottom salt will be sent to a common TSDF site.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- Utilization of treated wastewater in toilet flushing, greenbelt development and dust suppression

B **Air Pollution control Measures**

Air pollutants, such as carbon monoxide (CO), sulfur dioxide (SO2), nitrogen oxides (NOx), volatile organic compounds (VOCs), heavy metals, and respirable particulate matter ($PM_{-2.5}$ and PM_{-10}), differ in their chemical composition, reaction properties, emission, time of disintegration and ability to diffuse in long or short distances.For control of air pollution PP has proposed as follows:

- Provision of regular monitoring of air polluting concentrations.
- Provision of pollution control equipments at all point of emission
- All tankers shall be PUC Certified from time to time.
- DG Sets will be operated during power failure.
- Traffic management will be made and ensured that the same is followed.
- Greenbelt will be developed at the facility to mitigate the impact of pollution.
- Attenuation of pollution/ protection of receptor through greenbelt/green cover.
- FLIR Systems will be installed and fielded a passive IR imager capable of standoff leak detection of Volatile Organic Compounds (VOCs)

S. No.	Stack Attached to	Stack Height (m)	Dia of stack at top(m)	Temp. of exhaust gases (^0C)	Exit Velocity (m/sec)	APCM	Pollutant Emission Rate (mg/Nm^3)		
							SPM	SO_2	NOx
Estimated Emission from stack									
1	Boilers (Coal/ Bio-coal/FO) 3 TPH	36	0.45	160	8.5	Bag Filter Green belt	<95	<12	<15
2	Boiler 2 TPH Coal/FO	30	0.3	160	8.5		<95	<12	<15
3	DG Set 1000 kVA (Standby)	11	0.225	210	15.0	stack	<100	<25	<30
4	DG Set 500 kVA (standby)	11	0.225	210	15.0	stack	<100	<25	<30

C: Solid & Hazardous waste Management

Solid waste generated during the manufacturing process and wastewater treatment process is mainly sludge and will be disposed at authorized TSDF facility, as per Hazardous and Other Waste (Management &Transboundary Movement) Rules, 2008 (Amendment 2016). PP has submitted he will take authorization Under Hazardous Waste (Management, Handling & Transboundary Movement), Rules.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

D : Probable Odor Sources and Control/ Mitigation Measures

Probable Odor Source	Control/ Mitigation Measures
Point sources are confined emissions from vents, stacks and exhausts.	• Wet scrubbing system will be provided to remove odor involve either absorption in a suitable solvent or chemical treatment with a suitable reagent. Hot, moist streams will be cooled before the contact scrubbing solutions. • Double condenser system will be provided before absorption system/scrubber that normally uses water or air to cool and condense a vapor stream. • Green belts are used to form a surface capable of sorbing and forming sinks for odorous gases. Leaves with their vast area in a tree crown, sorbs pollutants on their surface, thus effectively reduce their concentrations in the ambient air and source emissions • Greenbelt development plan details are given.
odour emissions from loading and unloading of raw material (low molecular weight and high vapour pressure) to storage tanks, from valves, compressors, pumps flanges etc.	• Regular monitoring of the stack emission of proposed scrubber shall be carried out. • Transport vehicles will be properly maintained to reduce air emissions. Vehicles will be periodically checked for pollutant emissions against stipulated norms. • Idle running of vehicles will be minimized during material loading/unloading operations. • Water sprinkling along the internal road and around premises.

The submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence it is decided to accept the recommendations of 540thSEAC meeting dtd. 08.01.20 and grant Prior Environmental Clearance for proposed project Manufacturing of API-Bulk Drug & Intermediates with production capacity of 200 Tonne per month (2400 TPA) at Plot No. UD-2, Village - Chirakhan, Pithampur Industrial Area, AKVN, Near Ramkey, Tehsil - Depalpur, Dist. Dhar (MP) by M/s Siddhanta Pharma Pvt. Ltd, Dr. Subodh Varsheny, M-156, Gautam Nagar, Dist. Bhopal, MP - 462023, subject to the following specific conditions:-

1. The entire demand of fresh water should be met through MPIDC (letter dtd. 23.11.21) Indore (MP).PP should ensure to incorporate with MPAKVN Pithampur for processing the water supply as directed in letter dtd. 23.11.2021.

2. **Waste water:**

   (a) PP should ensure "Zero effluent discharge" from the unit by 100% recycling. The water softening reject, boiler blow down reject and cooling blow down will be treated

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

in ETP. Further treated waste water will go through the RO and finally re used / recycled in the process and unused waste water evaporates in MEE.

(b) RO and MEE should be provided for treatment of high COD waste streams and only in case of emergency/breakdown high COD wastes should be disposed off through CTSDF, Pithampur, Dhar.

3. **For Air Pollution:**

(a) PP should ensure regular Stack monitoring &Ambient air quality monitoring and should be carried out as per the guidelines/norms of MPPCB/CPCB.

(b) In plant control measures for checking fugitive emission from all the vulnerable sources shall be provided. Fugitive emission shall be controlled by providing closed storage, closed handling & conveyance of chemicals/materials, multi cyclone separator/bag filters and water sprinkling system.

(c) Company shall carry out the HAZOP study and report shall be submitted to ministry MoEF& CC Regional Office, Bhopal.

(d) To control source and the fugitive emissions, suitable pollution control devices shall be installed to meet the prescribed norms and/or the NAAQS. Sulphur content should not exceed 0.5% in the Briquette/Coal for use in Briquette/Coal fired boilers to control particulate emissions within permissible limits (as applicable). The gaseous emissions from the boiler, DG set shall be dispersed through stack of adequate height as per CPCB/SPCB guidelines.

(e) PP to explore possibility to use briquettes as a fuel to the boiler instead of coal to reduce Global Warming Potential.

(f) For control of fugitive emission and VOCs following steps should be followed:-

- Chilled brine circulation system shall be provided and it should be ensured that the solvent recovery efficiency is not be less than 95%.
- Reactor and solvent handling pump shall be provided with mechanical seal to prevent leakage.
- Solvent shall be taken from underground storage tank to reactor through closed pipeline. Storage tank shall be vented through trap receiver and condenser operated on chilled water.

4. **Hazardous Waste Management:**

(a) As proposed above, PP should ensure disposal of hazardous waste regularly and there should be no dumping of these materials in the premises/outside.

(b) Solid waste generated during the manufacturing process and wastewater treatment process is mainly sludge and should be disposed at authorized TSDF facility, as per Hazardous and Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2008 (Amendment 2016).

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(c) PP should obtain the Membership from CHW-TSDF-Pithampur for disposal of Hazardous waste.

5. **Green Belt Development:** PP should ensure plantation as proposed 10528 sq. m (34%) with 2200 number of trees with native tree species in accordance with CPCB guidelines. The greenbelt shall inter alia cover the entire periphery of the plant.
6. PP should ensure the proposed CER cost will be 15.0 lacs which will be incurred on skill training development programme. PP shall be conduct CER programme as skill development activity in coordination with of ITI for which budgetary of 10.60 lakhs has been made at Sardarpur & adjoining area and Water facility shall be provided in the Ralamandal Wild Life Sanctuary, Indore for which 04.0 lakhs has been allocated .
7. Total quantity of runoff water generated should be collected in underground tank & used for process green area to minimize fresh water requirement.
8. PP to include carbon foot print in the Environmental Monitoring Program.

7. प्रकरण क्र. 8871/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री सुतीक्षण पाण्डेय आत्मज श्री शिवशंकर पाण्डेय, निवासी – नियर रेल्वे स्टेशन गोड़हर, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)–485775 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.721 हेक्टेयर, खसरा 611, 612, 613, ग्राम पगरा, तहसील अमरपाटन, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 540वी बैठक दिनांक 08.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 540वी बैठक दिनांक 08.01.2022 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से प्रस्तावित खदान क्षेत्र की सीमा तक न्यूनतम 50 मीटर** तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (जी.आई. शीट) 4 मीटर ऊंचाई तक की स्थापना लीज क्षेत्र के चारो ओर की जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

IV. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Waves) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम तीन वर्षो में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 2100 पौधे जैसे शिशम, बेल, खेर, चिरूल, नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज, कटंग बांस, अमलतास, नींबू, पपीता, मुनगा करोंदा, सीताफल, जंगल जलेबी, गिलोय, तुलसी, एलोबेरा आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड एवं मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम पगरा के शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल की बाउड्रीवाल का निर्माण (70 फीट X 5 फीट) एवं स्कूल बिल्डिंग के रंग रोगन का कार्य किया जायेगा।
- ग्राम पगरा में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री सुतीक्षण पाण्डेय आत्मज श्री शिवशंकर पाण्डेय, निवासी – नियर रेल्वे स्टेशन गोड़हर, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)–485775 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.721 हेक्टेयर, खसरा 611, 612, 613, ग्राम पगरा, तहसील अमरपाटन, जिला सतना (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के पत्र क्रं. 1889 दिनांक 25.06.2021 के अनुसार उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 24.06.2031 तक वैधता मान्य रहेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

8. प्रकरण क्र. 8872/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री विजय कुमार जाधव, निवासी– 03, निराला नगर, भदभदा नाका, जिला रतलाम (म.प्र.) – 457001 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10260 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 292, ग्राम जमथुन, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

SEAC की 540वी बैठक दिनांक 08.01.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार प्रस्तावित खदान के निकटतम मानव बसाहट 177/250 मीटर, समीपस्थ प्राकृतिक नाला, पक्का रोड़ 110 मीटर एवं कच्चा रोड़ 175 मीटर पर स्थित है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है। जिसे मान्य करने पर न्यूनतम उत्खखन क्षेत्र उपलब्ध न होने कि स्थिति **होना परिलक्षित है।**

प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त आदेश को मान्य करते हुये उक्त प्रकरण को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

9. प्रकरण क्र. 8875/2021 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती कल्पना सावंला पति श्री जितेन्द्र सांवला, निवासी – वार्ड नं. 07, खटला गली, तहसील सुसनेर, जिला आगर मालवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 8453 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.40 हेक्टेयर, खसरा 2718 पैकी, ग्राम कसाब, तहसील सुसनेर, जिला आगर मालवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 540वी बैठक दिनांक 08.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the district survey report (DSR) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(ii) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

10. प्रकरण क्र. 8876/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री दिनेश सिंह बुदेला आत्मज श्री राणा प्रताप सिहं, निवासी – सुर्याचल गढ़ी, घुवारा, तहसील घुवारा, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10365 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.50 हेक्टेयर, खसरा 1198/1, ग्राम घुवारा, तहसील घुवारा, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 540वी बैठक दिनांक 08.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 540वी बैठक दिनांक 08.01.2022 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना की जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि माईनिंग लीज के अंदर मौजूद पेड़ों को नहीं काटा जायेगा।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम तीन वर्षो में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 2400 पौधे जैसे नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज, कटंग बांस, अमलतास, नींबू, पपीता, मुनगा करोंदा, सीताफल, जंगल जलेबी, गिलोय, तुलसी, एलोबेरा आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड एवं मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम घुवारा के शासकीय बालक हायर सेकेण्डरी स्कूल की पुस्तकालय को किताबे एवं 05 टेबिल प्रदान की जाये एवं स्कूल बिल्डिंग की मरम्मत व रंग रोगन का कार्य किया जाये।
- ग्राम घुवारा में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री दिनेश सिंह बुदेला आत्मज श्री राणा प्रताप सिहं, निवासी – सुर्याचल गढ़ी, घुवारा, तहसील घुवारा, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10365 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.50 हेक्टेयर, खसरा 1198/1, ग्राम घुवारा, तहसील घुवारा, जिला छतरपुर (म.प्र.) की उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रं. 1218 दिनांक 04.07.2020 के अनुसार उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 03.07.2030 तक वैधता मान्य रहेगी।

11. प्रकरण क्र. 8878/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री दुलीचंन्द्र पटेल आत्मज श्री बाबूलाल पटेल, निवासी मकान नं. 67, ग्राम मझगुंवा, पोस्ट कर्रापुरा, केरवाना, जिला सागर (म.प्र.)–470337 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1. 238 हेक्टेयर, खसरा 1510/1/2/1/1, 1510/1/2/1/2, 1241, 1511/2, 1252/4/1/2, ग्राम देवपुर, तहसील बकसवाहा, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 540वी बैठक दिनांक 08.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 540वी बैठक दिनांक 08.01.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले सीपीसीबी द्वारा जारी दिशा–निर्देशों एवं माननीय एनजीटी (Principle Bench) नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में **पक्की सड़क से 100 मीटर** "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. **खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।**

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (जी.आई. शीट) 4 मीटर ऊंचाई तक की स्थापना लीज क्षेत्र के चारो ओर की जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

V. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम तीन वर्षो में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 2400 पौधे जैसे शिशम, बेल, खेर, चिरूल, नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज, कटंग बांस, अमलतास, नींबू, पपीता, मुनगा करोंदा, सीताफल, जंगल जलेबी, गिलोय, तुलसी, एलोबेरा आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड एवं मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम देवपुर के शासकीय मिडिल स्कूल में 01 कम्प्यूटर, 01 प्रिंटर एवं 01 टेबिल प्रदाय किया जाये।
- शासकीय संस्कृत स्कूल भीमकुडं को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाये।
- ग्राम देवपुर में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री दुलीचंन्द्र पटेल आत्मज श्री बाबूलाल पटेल, निवासी मकान नं. 67, ग्राम मझगुंवा, पोस्ट कर्रापुरा, केरवाना, जिला सागर (म.प्र.)–470337 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.238 हेक्टेयर, खसरा 1510/1/2/1/1, 1510/1/2/1/2, 1241, 1511/2, 1252/4/1/2, ग्राम देवपुर, तहसील बकसवाहा, जिला छतरपुर (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रं. 1770 दिनांक 31.05.2021 के अनुसार उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 30.05.2031 तक वैधता मान्य रहेगी।

12. प्रकरण क्र. 8866/2021 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती दीपा माहेश्वरी पत्नि श्री पुरूषोत्तम दास माहेश्वरी, निवासी – 31–बी, वार्ड नं. 13, सोनी मोहल्ला, शमशाबाद, जिला विदिशा (म.प्र.)–464228 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 8000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.494 हेक्टेयर, खसरा 3/1/2, 3/2/1, 3/2/3, 3/2/4, 3/2/5, 3/2/6, ग्राम रामपुरा खुर्द, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 540वी बैठक दिनांक 08.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 540वी बैठक दिनांक 08.01.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले सीपीसीबी द्वारा जारी दिशा–निर्देशों एवं माननीय एनजीटी (Principle Bench) नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में **पक्की सड़क से 100 मीटर** "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. **खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।**

III. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि माईनिंग लीज के अंदर मौजूद पेड़ों को नहीं काटा जायेगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (जी.आई. शीट) 4 मीटर ऊंचाई तक की स्थापना लीज क्षेत्र के चारो ओर की जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

VI. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम तीन वर्षो में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 1800 पौधे जैसे शिशम, बेल, खेर, चिरूल, नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज, कटंग बांस, अमलतास, नींबू, पपीता, मुनगा करोंदा, सीताफल, जंगल जलेबी, गिलोय, तुलसी, एलोबेरा आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड एवं मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम रामपुरा खुर्द के शासकीय मिडिल स्कूल में 01 कम्प्यूटर, एवं 01 प्रिंटर प्रदाय करेगा।
- शासकीय रामपुरा खुर्द के मिडिल स्कूल में 05 पंखे, 10 ब्लैक बोर्ड, 04 कैरेम बोर्ड एवं 01 बॉलीबॉल प्रदाय किया जाये।
- ग्राम रामपुरा खुर्द में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्रीमती दीपा माहेश्वरी पत्नि श्री पुरूषोत्तम दास माहेश्वरी, निवासी – 31–बी, वार्ड नं. 13, सोनी मोहल्ला, शमशाबाद, जिला विदिशा (म.प्र.)–464228 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 8000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.494 हेक्टेयर, खसरा 3/1/2, 3/2/1, 3/2/3, 3/2/4, 3/2/5, 3/2/6, ग्राम रामपुरा खुर्द, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के पत्र क्रं. 5183 दिनांक 20.07.2021 के अनुसार उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 19.07.2031 तक वैधता मान्य रहेगी।

13. प्रकरण क्र. 8870/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री निरंजन सिहं रघुवंशी आत्मज श्री गजराज सिहं रघुवंशी, निवासी – अयोध्या नगर, धरमकांटा, गंजबासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.) द्वारा फर्शी पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 2300 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 134/2, ग्राम दैलवाड़ा, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 540वी बैठक दिनांक 08.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 540वी बैठक दिनांक 08.01.2022 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **प्राकृतिक नाले एवं कच्ची सड़क से प्रस्तावित खदान क्षेत्र की सीमा तक न्यूनतम 50 मीटर** तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि माईनिंग लीज के अंदर मौजूद पेड़ों को नहीं काटा जायेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (जी.आई. शीट) 4 मीटर ऊंचाई तक की स्थापना की जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम तीन वर्षो में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 1200 पौधे जैसे शिशम, बेल, खेर, चिरूल, नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज, कटंग बांस, अमलतास, नींबू, पपीता, मुनगा करोंदा, सीताफल, जंगल जलेबी, गिलोय, तुलसी, एलोबेरा आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड एवं मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम दैलवाड़ा, लेहदार, पठार एवं भिलय में वाटर प्यूरीफायर की स्थापना एवं पानी की उचित व्यवस्था का कार्य किया जायेगा।
- ग्राम दैलवाड़ा के शासकीय मिडिल स्कूल में स्पोर्टस किट्स एवं रंगारोगन का कार्य करेगा।
- ग्राम दैलवाड़ा में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री निरंजन सिहं रघुवंशी आत्मज श्री गजराज सिहं रघुवंशी, निवासी – अयोध्या नगर, धरमकांटा, गंजबासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.) द्वारा फर्शी पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 2300 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 134/2, ग्राम दैलवाड़ा, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के पत्र क्रं. 5227 दिनांक 22.07.2021 के अनुसार उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 21.07.2031 तक वैधता मान्य रहेगी।

14. प्रकरण क्र. 8681/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्री वेंकटेशवर सिंह रघुवंशी पिता श्री सूरज प्रकाश रघुवंशी, ग्राम परवलिया, तहसील लटेरी, जिला विदिशा (म.प्र.)–464001 द्वारा पत्थर खदान, एरिया 4.0 हेक्टेयर, विस्तार उत्पादन क्षमता 6840 से 36181 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा 556/2, ग्राम कांचीखेड़ा, तहसील लटेरी, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

उक्त प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 699वी बैठक दिनांक 29.12.2021 में निर्णय लिया गया :–.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/आरक्यूपी/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 536वीं बैठक दिनांक 17.12.2021 की अनुशंसा को मान्य करते हुएप् र्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय से पर्यावरण स्वीकृति का अनुपालन प्रतिवेदन अभिप्रमाणित कराकर जमा किया गया है जिसमें सभी शर्तो का परिपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तो का परिपालन ना किये जाने के स्पष्टीकरण हेतु SEIAA के समक्ष परियोजना प्रस्तावक एवं आरक्यूपी के द्वारा एक माह की समयावधि में प्रस्तुतीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है। तदानुसार संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल से अनुवीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में विस्तृत चर्चा में यह निर्णय लिया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो के अनुपालन के संबंध में खदान क्षेत्र के भीतर किये गये पर्यावरण प्रबंधन कार्य एवं खदान क्षेत्र के बाहर किये गये सामुदायिक कार्यों के वास्तविक अभिप्रमाणित छायाचित्र सहित परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा आगामी SEIAA बैठक में प्रस्तुतीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

15. प्रकरण क्र. 7964/2020 : परियोजना प्रस्तावक मेसर्स हरदोल ग्रेनाईट, प्रोपराईटर श्री अशोक सिंह यादव, निवासी 108, बैंकर्स कॉलोनी, थाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), एरिया 4.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 150000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 56/2, नया खसरा 132, 133, ग्राम रफदपुर, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन ।

उक्त प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 696वी बैठक दिनांक 10.12.2021 में निर्णय लिया गया :–.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा और एसईएसी 526वीं बैठक दिनांक 11.11.2021 की अनुशंसाओं के अवलोकन के बाद प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त उत्पादन क्षमता विस्तार के प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं अवलोकन के बाद निर्णय लिया गया कि ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधानों के परिपालन में प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार एवं एसईआईएए में ऑनलाईन एवं हार्डकॉपी सहित प्रस्तुत करने के उपरांत पर्यावरण स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल से अनुवीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में विस्तृत चर्चा में यह निर्णय लिया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो के अनुपालन के संबंध में खदान क्षेत्र के भीतर किये गये पर्यावरण प्रबंधन कार्य एवं खदान क्षेत्र के बाहर किये गये सामुदायिक कार्यों के वास्तविक अभिप्रमाणित छायाचित्र सहित परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा आगामी SEIAA बैठक में प्रस्तुतीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

16. प्रकरण क्र. 8760/2021: परियोजना प्रस्तावक मेसर्स शाकम्भरी स्टोन क्रेशर, प्रो. श्री विजय कुमार मित्तल, पेन्ड्रा रोड़ जिला बिलासपुर (छ.ग)–484886 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), एरिया 2.023 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 27318 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 132/8 ग्राम पमरा, तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

उक्त प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 696वी बैठक दिनांक 10.12.2021 में निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा और एसईएसी 527वीं बैठक दिनांक 12.11.2021 की अनुशंसाओं के अवलोकन के बाद प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचित बायोस्फियर रिजर्व अचानकमार–अमरकंटक के 97 ग्रामों की सूची में ग्राम पमरा भी सम्मलित है जिसमें उक्त पत्थर खदान स्वीकृत की गई है। अतः उपरोक्त परिदृश्य के दृष्टिगत रखते हुए उक्त खदान के प्रकरण में जिला स्तरीय क्षेत्रीय समन्वय समिति (DLFCC) की अनुशंसा प्राप्त की जाना आवश्यक है। अतः इस संबंध में कलेक्टर, अनूपपुर से 30 दिवस की अवधि में प्रस्तावित खदान की DLFCC की अनुशंसा प्राप्त किया जाना निर्णित किया गया। प्रतिलिपि परियोजना प्रस्तावक को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार ई–मेल दिनांक 13.01.2022 के माध्यम से उक्त खदान की जिला स्तरीय क्षेत्रीय समन्वय समिति (DLFCC) की अनुशंसा पत्र प्रेषित किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 527वी बैठक दिनांक 12.11.2021 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन कार्य किये जाने के पूर्व वनमण्डलाधिकारी अनूपपुर एवं जिला खनिज अधिकारी की उपस्थिति में खदान क्षेत्र का सीमांकन करवाया जाये एवं यह सुनिश्चित किया जाये कि खदान क्षेत्र की सीमा से 250 मीटर की दूरी (समीपस्थ वन क्षेत्र की सीमा) तक उत्खनन प्रतिबंधित रहेगा।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन क्षेत्र एवं ग्रामीण आवासीय क्षेत्र से खनिज का परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वनमण्डल कार्यालय के साथ समन्वय कर परियोजना क्षेत्र के समीपस्थ वन क्षेत्रों में जैव विविधता संरक्षण हेतु सहभागिता सुनिश्चित की जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज पटटा क्षेत्र में जीवित 07 पेड़ो में से 7.5 मीटर बैरियर जोन के 02 पेड़ो को नही काटेगा तथा खनन क्षेत्र के 05 पेड़ो को सक्षम प्रधिकरण से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही काटेगा एवं इसके एवज में 50 पेड़ वन अधिकारी के परामर्श अनुसार लगाये जायें।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

v. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खदान क्षेत्र के चारो ओर की जाये।

vi. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

vii. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

viii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Waves) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

ix. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम तीन वर्षो में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 2430 पौधे जैसे शिशम, बेल, खेर, चिरूल, नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज, कटंग बांस, अमलतास, नींबू, पपीता, मुनगा करोंदा, सीताफल, जंगल जलेबी, गिलोय, तुलसी, एलोबेरा आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड एवं मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी।

x. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम पमरा में 03 सोलर लाईट (@10000/-) स्थापित की जाये खुर्द के शासकीय मिडिल स्कूल में 01 कम्प्यूटर, एवं 01 प्रिंटर प्रदाय करेगा।
- ग्राम पमरा के शासकीय प्राथमिक स्कूल में स्पोर्ट किट, स्टेशनरी वितरित की जाये एवं स्कूल बिल्डिंग की मरम्मत एवं रंगरोगन का कार्य किया जाये।
- ग्राम पमरा में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स शाकम्भरी स्टोन क्रेशर, प्रो. श्री विजय कुमार मित्तल, पेन्ड्रा रोड़ जिला बिलासपुर (छ.ग)–484886 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 27318 घनमीटर प्रतिवर्ष, एरिया 2.023 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 132/8 ग्राम पमरा, तहसील

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर(म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के पत्र क्रं. 6917 दिनांक 11.06.2021 के अनुसार उक्त खदान को दिनांक 27.02.2019 से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 26.02.2029 तक वैधता मान्य रहेगी।

17. **Case No.5698/2018:**Prior Environment Clearance for Proposed Construction of 5 Nos. 240 Men Barracks including Electrical Works at village - Panihar, Dist. Gwalior by Dy. Inspector General of Police (Works), Group Center, Centre Reserve Police Force (CRPF), Gwalior, MP – 474003

    1) ToR recommended in 328th SEAC meeting dtd. 08.09.2018 and approved in 503 SEIAA meeting dtd. 18.09.2018.
    2) Accordingly, the ToR for carrying out the EIA study was issued vide letter no. 317/PS-MS/MPPCB/SEAC/TOR/(328)/2018 dtd. 22.09.2018.
    3) Now Vide proposal no. SIA/MP/MIS/240328/2021 PP has applied online through Parivesh portal for extension of validity of ToR with all required documents.
    4) PP has submitted unfortunately the ongoing outbreak of the Coronavirus (covid-19) and subsequent lockdowns project is on hold and they have not proceeded further to submit the final EIA report.

    On the request of project proponent, Authority decided to extend the validity of the ToR for one more year as per MoEF Notification dtd. 18.01.2021

18. **Case No.5697/2018** Prior Environment Clearance for Proposed Residential Colony in existing CRPF Campus area as C/o 1003 Nos Staff Quarters (900 Nos. Type II, 54 Nos. Type III, 33 Nos. Type IV, 16 Nos. Type V quarters) at village - Nayagaon, Dist. Gwalior by Dy. Inspector General of Police (Works), Group Center, Centre Reserve Police Force (CRPF), Gwalior, MP – 474003

    1) ToR recommended in 328th SEAC meeting dtd. 08.09.2018 and approved in 503 SEIAA meeting dtd. 18.09.2018.
    2) Accordingly, the ToR for carrying out the EIA study was issued vide letter no. 315/PS-MS/MPPCB/SEAC/TOR/(328)/2018 dtd. 22.09.2018.
    3) Now Vide proposal no. SIA/MP/MIS/240343/2021 PP has applied online through Parivesh portal for extension of validity of ToR with all required documents.

    PP has submitted unfortunately the ongoing outbreak of the Coronavirus (covid-19) and subsequent lockdowns project is on hold and they have not proceeded further to submit the final EIA report.

    On the request of project proponent, Authority decided to extend the validity of the ToR for one more year as per MoEF Notification dtd. 18.01.2021

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

19. Case No 8733/2021: Prior Environmental Clearance for proposed expansion in Hospital / Nursing Home Total Land Area – 18071.09 sqm sqm., Built up Area (Existing) – 40723 sqm, Proposed additional Built-up area = 1484.76 sqm Total Built-up area 42207.76 sqm at Khasra No. 89/1/1, 89/1/2, 90/1, 91/3, 97/2, 91/2, 89/1/3, 92/2/1, Village - Chitwad& Plot No. 2, Ring Road, Yojna No. 94, Sector-1, Tehsil & Dist. Indore, (MP) by M/s Jupiter Hospital Projects Private Limited, through Director,Shri Ankit Thakkar, Ring Road, Near Teen Imli Square, Dist. Indore, MP - 452020. Envt. Consultant: Creative Enviro Services

The case was discussed in 699th SEIAA meeting dtd. 29.12.2021 and recorded that:-

1. *This is a case of Prior Environment Clearance for Expansion in Hospital / Nursing Home at Khasra No. 89/1/1, 89/1/2, 90/1, 91/3, 97/2, 91/2, 89/1/3, 92/2/1, Village - Chitwad& Plot No. 2, Ring Road, Yojna No. 94, Sector-1, Tehsil & Dist. Indore, (MP) Total Land Area – 18071.09 sqm., Total Built up Area Existing – 42207.76 sqm.,Total Built up Area Proposed – 44001.78 sqm.*

2. *Total built-up area is between 20000 sqm& 150000 sqm and plot area is less than 50 ha., therefore the project comes under category (B) for project activity 8(a) of schedule of EIA Notification, 2006.*

3. *Earlier the name of the Hospital was Vishesh Diagnostics Pvt. Ltd. and the prior EC has been granted by MP SEIAA vide letter No. 119 dated 02/05/2016 (case No. 4965) to Vishesh Diagnostics Pvt. Ltd. later on Vishesh Diagnostics Pvt. Ltd. has entered into business agreement within Jupiter Hospital Projects Pvt. Ltd. Therefore the EC has been Transferred in Name of M/s Jupiter Hospital Projects Pvt. Ltd by MPSEIAA vide letter No. 5548 dated 06/01/2021.*

4. *In view of the present scenario and to increase the health care facility in the vicinity M/s Jupiter Hospital Projects Pvt. Ltd. is proposing to increase the height of the Hospital Building and increasing the existing bed capacity.*

5. *The case was considered in 522th meeting dated 27/10/2021, 527th meeting dated 12/11/21 and 535th SEAC meeting and recommended for EC with special conditions.*

6. *After the recommendation today the case was discussed and recorded that:-*

   The prior EC has been granted by MP SEIAA vide letter No. 119 dated 02/05/2016 (case No. 4965) for which PP has submitted certified compliance of existing EC conditions from Regional Office MOEFCC Bhopal and findings of the reports are as follows:

Conditions Status	***Nos .***
Complied	*08*
Agreed to Comply	*32*

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

Being Complied	*48*
Compliance in Progress	*02*
Not Applicable	*10*
Total Conditions	***100***

After discussion it was observed by the authority that after the 5th years of the environmental clearance PP has complied only 08 conditions whereas 48 are being complied and 32 are agreed to comply stage. PP should clarify the non-compliance of the remaining conditions.

PP has proposed to increase the height of the building however expansion permission from Municipal corporation / T & CP has not been submitted by PP."

In response to above, PP has submitted:

- PP has obtained CTE & CTO from MPPCB vide letter dtd. 30.10.2016 & 31.07.2020 respectively.
- EC obtained before 5 years but the hospital has been started from July 2020 and from last two years most of the emphasis has been given to provide better treatment to the COVID-19 Patients. Further PP submitted that despite of the hard work of the Doctors and staff in treatment of the COVID-19 patients, no non-compliance has been observed by the Regional Office MoEF & CC.
- PP has also submitted that they have complied 08 conditions and 48 conditions are being complied and compliances of these conditions are a regular process and they are abide to compliance them. The 32 conditions which are agreed to comply for which management has committed to comply them within next six months.
- PP assured that he will obtain the necessary permission from competent authority before start of the proposed construction.

After submission today the project is scheduled for consideration and recorded that:

i. The project area lies between Latitude 22°41'04.17"N Longitude 75°52'53.8"E

ii. Earlier the name of the Hospital was Vishesh Diagnostics Pvt. Ltd. and the prior EC has been granted by MP SEIAA vide letter No. 119 dated 02/05/2016 (case No. 4965) to Vishesh Diagnostics Pvt. Ltd. later on Vishesh Diagnostics Pvt. Ltd. has entered into business agreement within Jupiter Hospital Projects Pvt. Ltd. Therefore the EC has been Transferred in Name of M/s Jupiter Hospital Projects Pvt. Ltd by MPSEIAA vide letter No. 5548 dated 06/01/2021.

iii. The landownership has been changed from Vishesh Diagnostic Pvt. Ltd to Jupiter Hospital Projects Pvt. Ltd. PP has submitted registered sale deed dtd. 20.11.2020 of

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

the land. As per the land documents the said land is the name of M/s Jupiter Hospital Projects Pvt. Ltd.

iv. As per the existing Hospital, present built-up area is of 40723 sqm, which is less than mentioned in the earlier EC i.e. 42207.76 sqm, PP has proposed to construct additional floor (8th floor) of 1484.76 sqm which is accounted within the area permitted / approved built up area as per EC.

- Total Land Area = 18071.09 sqm
- Existing Built-area – 40723 sqm for Nursing Home & hospital
- Proposed additional Built-up area = 1484.76 sqm
- Total Built-up area after amendment – 42207.76 sqm (same as permitted in EC)
- The increase in built up area is only in the 8th floor.
- The existing height of the building is stilt +24m comprises of 7th Floor and terrace, the proposed additional floor of 1484.76 sqm area to be constructed on the terrace, so the ultimate height of the building after expansion will be Ground + 28.9m
- The other building of guest house will be remains same with G+5.

Comparison between Exiting and Proposed Expansion

Particulars	Existing	Proposed	Total	Remark
Bed Capacity	200 Nos.	200 Nos.	**400 Nos.**	The additional 200 Nos shall be accommodated in the proposed 8th floor. The bed capacity will be increased in view current pandemic.
Fresh Water	270 kld	140 kld	**410 kld**	The source of water- Municipal Corporation Supply.
MSW	0.25 ton/day	0.25 ton/day	**0.50 ton/day**	At present the disposal of MSW is being done through Municipal Corporation disposal facility. After expansion the same shall be followed.
BMW	0.06 ton/day	0.06 ton/day	**0.12 ton/day**	For disposal of BMW we are the member of HOSWIN Incinerator Pvt. Ltd. Indore (CBWTF Operator).
Waste Water	162.00 kld	63 kld	**225 kld**	STP based on Fluidized Media Bio Reactor (FMBR) Technology of 250 m^3/day capacity has been provided to handle the sewage generated after expansion.
Car Parking	10943 sq.m (312 ECS)	1750 sq.m (50 ECS)	**12693 sq.m 371(ECS)**	Right from the beginning the car parking area is enough to cater extra load.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

Building Height	Stilt + 24 mt	4.9 mt	**Stilt + 28.9 mt**	Increase in the height due to construction of additional 8th floor.
Constructed area	40723 sqm	1484.76 sqm	**42207.76 sqm**	After expansion the built-up area will be as per previous EC.
Plantation area	1268.53 sqm	-	**1268.53 sqm**	Planted 500 Nos. of species

v. After expansion The total water requirement during operation phase is 410 KLD out of which 245 KLD is fresh water requirement. The source of water supply is Indore Municipal Corporation (letter dtd. 20.11.2015) The total wastewater 225 KLD will be generated. The generated wastewater will be treated in STP (MBBR technology) of capacity of 250 KLD and 165 KLD will be the total recovered treated water, out of which 55 KLD will be recycled for flushing and 100 KLD water will used for HVAC Demand 10 KLD water will be used for Irriggation / horticulture. The surplus treated water will be discharged to Public sewer. PP has submitted letter (dtd. 20.11.2015) from Nagar Nigam, Indore for disposal of extra treated waste water.

vi. The MSW 500 Kg/day, this consist all types of wastes (as Organic waste 400 Kg/day and non- organic waste 100 Kg/day) shall be generated which is proposed to be segregated at source and the biodegradable and non- recyclable/ non biodegradable waste will be stored and collected separately. Colored collection bins shall be provided in proper numbers. Final disposal through Municipal Corporation Indore. PP has submitted NOC from Indore Municipal Corporation letter (dtd. 09.11.2015) for disposal of solid waste.

vii. Bio Medical waste approximately 0.12 ton per day will be generated. PP has proposed the Bio Medical waste shall be collected and stored in coloured coded bins and disposed as per the BMW (Management & Handling) Rules 1998 and its amendment. PP has submitted letter dtd. 01.03.2016 from Hoswin Incinerators Pvt. Ltd. Indore for disposal of BMW.

viii. The maximum height of the building is stilt + 24 m. After expansion it will be increased Stilt + 28.9 mt.

ix. PP has provided fire fighting arrangement as per NBC 2005 latest. analog addressable fire alarm system with use of photo electric heat and multi criteria detectors. This system is capable of pin pointing the source of fire immediately since its detection also gives the exact location of its placements. This fire alarm system will also have inbuilt voice evacuation system.PP has obtained fire cell NOC dtd. 26.09.2019 from Directorate of Urban Administration & Development M.P.Bhopal

x. PP has proposed to provide 371 ECS in parking area of 12693 Sq.m.

xi. (The total power requirement is 2343 KW. The source of electricity is Madhya Pradesh Kshetra Vidyut Vitran Company Limited. PP has also provided power back up 2 x 1000 KVA. For control of energy PP has proposed Solar lighting is proposed

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

for open spaces, LED lighting, chiler water system using screw chiler Solar-PV (2% of power will utilize) etc.

xii. PP has proposed to provide roof top rain water harvesting system with 04 nos. of recharging pits.

xiii. PP has developed an area of 2168.53 sq.m (12%) to be developed as green area including 550 no. of trees.

The submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence it is decided to accept the recommendations of 535th SEAC meeting dtd. 16.12.21 with special conditions and accord Prior Environmental Clearance for proposed expansion in Hospital / Nursing Home Total Land Area – 18071.09 sqm sqm., Built up Area (Existing) – 40723 sqm, Proposed additional Built-up area = 1484.76 sqm Total Built-up area 42207.76 sqm at Khasra No. 89/1/1, 89/1/2, 90/1, 91/3, 97/2, 91/2, 89/1/3, 92/2/1, Village - Chitwad& Plot No. 2, Ring Road, Yojna No. 94, Sector-1, Tehsil & Dist. Indore, (MP) by M/s Jupiter Hospital Projects Private Limited, through Director,Shri Ankit Thakkar, Ring Road, Near Teen Imli Square, Dist. Indore, MP - 452020 subject to following specific conditions imposed by SEIAA:-

1. PP should ensure strictly compliance the instruction given by Regional Office, MoEF & CC in monitoring report dtd. 05.11.2011
2. Before execution of project obtain statutory permission of National Board of Wild Life and submit the copy to MPSEIAA otherwise the case will be considered for revocation of EC.
3. Before execution of project PP should obtain building permission and T& CP approval for increasing the height of the building.
4. The fresh water supply arrangement should be met through Municipal Corporation and there should no extraction of ground water.
5. The inlet and outlet point of natural drain system should be maintained with adequate size of channel for ensuring unrestricted flow of water.
6. **Disposal of waste water.**
   a. Sewage shall be treated in the STP based on MBBR Technology with tertiary treatment i.e. Ultra Filtration. The Treated effluent from STP shall be recycled /reused for flushing. DG cooling, Gardening and HVAC.
   b. PP should ensure linkage with municipal sewer line for disposal of extra treated waste water.
   c. Zero discharge should be maintained the waste water treated after ETP.
7. **Solid & Bio-medical Waste Management:**

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

a. Separate wet and dry bins must be provided at the ground level for facilitating segregation of waste.

b. The solid waste generated should be properly collected and segregated. Wet garbage should be composted and dry inert solid waste should be disposed off to the approved sites for land filling after recovering recyclable material.

c. Wet Garbage shall be composted in Organic waste convertor. Adequate area shall be provided for solid waste management within the premises which will include area for segregation, composting. The Inert waste from the project will be sent to dumping site.

d. Ensure linkage with Municipal Corporation for final disposal of MSW.

e. Bio-medical waste should not be mixed with MSW. ETP sludge shall be disposed at approved TSDF.

f. Separate space should be provided for collection & storage Bio-medical waste.

g. Transportation and handling of Bio-medical Wastes shall be as per the Biomedical Wastes (Management and Handling) Rules, 2000 including the section 129 to 137 of Central Motor Vehicle Rules, 1989.

8. PP should ensure road width, front MOS and side / rear as per MPBVR 2012 or approved T& CP, Indore .

9. For firefighting:-

a. PP should ensure distance of fire station approachable from the project site.

b. As per MPBVR, 2012 rule 42 (3) PP should submit necessary drawings and details to the Authority (Nagar Nigam, Indorel) incorporating all the fire fighting measures recommended in National Building Code part – IV point no. 3.4.6.1. The occupancy permit shall be issued by Nagar Nigam only after ensuring that all fire fighting measures are physically in place.

10. For Rain Water Harvesting, and Ground water recharge:-

a. PP should ensure the rain water harvesting with 04 no. of recharging pits and these pits should be connected laterally to consume the surplus runoff. In addition, PP should provide recharging trenches. The base of the trenches should be Kachha with pebbles.

b. The storm water from roof – top, paved surfaces and landscaped surfaces should be properly channelized to the rain water harvesting sumps through efficient storm water network as proposed. The budget should be included in EMP plan for storm water management.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

11. PP should ensure to provide car parking total- 371 ECS and explore the possibility to increase the parking space in open area.

12. For Energy Conservation PP should Ensure :-

a. Energy Saving by Using Led Lamps and Solar Power Plant as proposed.

b. Use of LED lights in the common areas, landscape areas, signage's, entry gates and boundary compound walls etc.

c. Solar lights provide for common amenities like Street lighting & Garden lighting.

d. PP should ensure installation of photovoltaic cells (solar energy) for lighting in common areas, LED light fixtures, and other energy efficient equipments.

13. Green belt :-

a. PP should ensure complete the total plantation in an area of 2168.53 sq.m (12%) by planting 550 numbers of plants and submit the same during submission of compliance report.

b. The green belt of the adequate width and density preferably with local species along the periphery of the plot shall be raised so as to provide protection against particulates and noise.

14. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry"s OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated: 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.

20. Case No 8739/2021: Prior Environment Clearance for Construction of New Commercial Building Project "Royal Park" at Village & Tehsil - Rau, Dist. Indore (MP) Total Plot Area - 7219.260 sqm, Total Proposed Built-up Area - 28849.71 sqm by M/s Monarch Developers, Kharsa No. 288/1, Rau, Dist. Indore, MP. Env. Consultant: M/s. ENVISOLVE LLP, Indore

The case was discussed in 695th SEIAA meeting dtd. 09.12.2021 and recorded that:-

i. *This is case of Prior Environment Clearance for Construction of New Commercial Building Project "Royal Park" at Khasra No. 288/1/1, 288/1/3, 288/1/4, 288/1/5, 288/1/6, 289/1/1 Village & Tehsil - Rau, Dist. Indore (MP).Total Plot Area - 7219.260 sqm, Total Proposed Built-up Area - 28849.71 sq.m. The project includes No. of Floors (Ground floor shop, First floor, Second floor, third floor shop) Total no. of Shops -83 Nos, Multiplex-03 Nos, Hotel Rooms- 28 No's, Multipurpose hall-01 No.etc.*

ii. *The project area lies between Latitude 22°39'8.31"N Longitude 75°49'18.94"E*

iii. *As per the T & CP Indore (vide letter dtd 19.06.2020) the plot area of the project is 0.746 ha. The total built up area proposed by PP is 28849.71 sq.m. The project comes under 8 (a) category (B) of schedule of EIA Notification, 2006 because total*

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

construction is between 20,000 sq mt. & 1,50,000 sq mt. and plot area is less than 50 ha.

iv. *PP has also obtained building permission from Municipal Corporation, Indore vide letter dtd. 11.05.2021*

v. *The case was discussed in SEAC meeting 525th dtd.10.11.21 and is recommended for grant of prior EC subject to special conditions.*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं अवलोकन के बाद प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया :–

i. एसईएसी द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा उपरांत बिन्दु क्र. VII- I पर अधिरोपित शर्त ***"PP has proposed to plant 600 trees in the area of 717 m2 (10% of total plot area) However, 01 tree /sq. meter of 717 m² left for plantation shall be planted. Thus minimum 717 trees shall be planted for greenbelt development. Existed peripheral trees shall not be up-rooted".*** *परियोजना प्रस्तावक इस शर्त का अनुपालन किस प्रकार करेंगे कृपया स्पष्ट करें।*

ii. Google image से प्रतीत हो रहा है कि प्रस्तावित परियोजना स्थल राउ औद्योगिक क्षेत्र के काफी नजदीक है जो कि सुरक्षा और पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त परियोजना को विकसित करना किस तरह उचित होगा कृपया स्पष्ट करें।

In response to above, reply received through email on 28.12.21 and PP submitted that:-

i. As per MoEF & CC guideline there is a norm of planting 1 trees/80 aq.m. of area(Total planning area- ground coverage) according to this they will plant 55 trees at project site, however as per 525th SEAC meeting dtd. 10.11.21recoommnded for plantation of 545 more trees, which will be achieve with consultation of nearest DFO and submit details during submission of compliance report.

ii. There is 1 shed appears at eastern side of the project is a ware house, not a industry. The nearest industrial area is about 12 K.M. (aerial distance) away from the project site.

After submission today the project is scheduled for consideration and recorded that:

i. Regarding land documents PP has submitted copy of registration dtd 03.03.2020 . As per the land documents the landownership is the name of Lakhwani Motal company through Dr. Ramesh Nikhara, Mohini Nikhara, Siddarth Nikhara and developer is Monarach Developers through Shri Naresh Lala, Pradeep Bhatia and Shri Nitin Lala.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

ii. The total water requirement will be 184 KLD whereas the fresh water requirement will be 88 KLD.The source of water supply is Municipal water. PP has obtained NOC (12.10.21) to Municipal Corporation Indore for water supply.

iii. The total waste water generation will be 161 KLD. PP has proposed STP capacity of 170 with MBBR technology. The available treated water is 136 KLD, out of which 96 KLD shall be recycled & 40 KLD will be disposed in municipal sewer line for which PP has submitted Indore Municipal corporation letter letter dtd. 12.10.2021.

iv. Approximately 1560 kg/day Municipal Solid waste shall be generated. This consist all types of wastes (as Organic waste 936 Kg/day and non- organic waste 468 Kg/day), Inert waste 156 Kg/day, E- waste 696.24 Kg/Annum, The generated biodegradable and non biodegradable waste will be collected separately. The non-recyclable and non-biodegradable waste, sludge from STP and Biodegradable waste will be deposited at a landfill site through Municipal Corporation Indore. PP has submitted (12.10.2021) to Municipal Corporation Indore for disposal of solid waste.

It is noted that there are 10 no. of existing rooms with built up area 927 sq.ft. PP has proposed that all the constructed rooms will be demolished at the time of construction and the demolished material will also be sold to authorized dealers.

v. The source of air & noise pollution of the project site normally occurs emission from vehicular traffic, Harmful dispersion of emissions from DG set , Odor from STP & Garbage. For control of air pollution PP has proposed as follows:-

a. Green belt to be provided with specific species.

b. Provision of adequate parking space for the residents.

c. Better traffic management in the complex by means of Signages

d. Provision of Stack as per CPCB guidelines.

e. Regular pest control to mitigate the mosquito breeding and other disease causing bacteria.

vi. The maximum height of the building is 24 m. PP has proposed front MOS/ Rear MOS 14m/7.5m, Width of Internal Road 7.50m and width of approach road 60m.

For vehicles, adequate space for smooth movement and parking shall be provided at the proposed site to avoid any congestion and idling state emissions.

- Proposed project will provide ample parking as per norms in the stilts and open.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- The internal zone within the plots will be paved and pedestrian friendly design.
- Separate entries and exits for smooth movement of traffic through adequate traffic signage.
- Plantation shall be provided at roadsides and open spaces with the specific
- species to attenuate dust and cyclonic winds.
- The ambient air quality shall be monitored as per prevalent norms to ensure that the activities at the site are not polluting the ambient environment.
- The entire site will not be simultaneously under heavy construction, with different sections of the site generating SPM in a progressive manner. Thus, as a worst- case scenario, it is conservatively assumed that during the heavy construction period, one third of the area will be actively emitting PM

vii. Storm water drainage system will be provided for the site to avoid water runoff on to the surrounding properties and roads. PP has submitted roof top rain water harvesting system for ground water recharging and has proposed 03 nos. of recharging pits.

viii. The total power requirement will be 1175 Kw which will be met by Madhya Pradesh Paschim Kshetra Vidyut Vitran Company Ltd out of this 25 Kw power produced by solar panels which is about 2.12 % of total power requirement. DG set of 50 KVA in 08 no and 75 KVA in 05. shall be installed, used for power back- up in common area of the sites. For control of energy PP has proposed as follows:

- Use of energy efficient lighting fixtures viz. LED, T5 which give more light output for the same watts consumed and therefore require less nos. of fixtures in Common areas
- Equipment efficiency standard power factor will be maintained between 0.95 and unity for major equipment like Lift, STP etc. This will reduce electrical power distribution losses in the installation.
- Motion Sensor in staircases.
- Use of VFD drives in lifts.
- Provision of Solar Hot water system.
- Recommending the benefits of adopting BEE 5 star rated electrical appliances to the customers to increase energy savings.

ix. PP has proposed basement an area of 10943.12 sq.m for parking 312 ECS.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

x. PP has proposed to provide External Wet riser system, Internal fire hydrants strategically located to cover maximum area, Fire pump, Sprinkler pump, Jockey pump, Sprinklers system, Two-way communication system, External yard hydrants, Portable fire extinguishers & Fire Alarm system. etc. as per NBC 2005. PP has obtained fire fighting NOC dtd 08.06.21 from Municipal Corporation Indore.

xi. It is noted that Ralamandal Abhayaran located within 10 km of the project area.for which PP has applied online application for wild life clearance vides their latter dated 07/10/2021with proposal no. FP/MP/Others/6062/2021.

xii. For this project PP has proposed Rs. 58.00 Lakhs as Corporate Environment Responsibility (CER) as follows:

S.No.	Particulars	Total Amount	1st Year	2nd Year	3rd Year
1.	Adoption of animals for their food & medical expenses at Indore Zoo.	INR 23,00,000	INR 3,00,000	INR 10,00,000	INR 10,00,000
2.	Developing provision for solar lighting at Indore Zoo.	INR 15,00,000	INR 5,00,000	INR 5,00,000	INR 5,00,000
3.	Development of high density plantation in consultation with NGO's working in same field at Rau, Indore.	INR 20,00,000	INR 5,00,000	INR 5,00,000	INR 10,00,000
TOTAL		INR 58,00,000	INR 13,00,000	INR 20,00,000	INR 25,00,000

Based on the documents and data submitted by the PP, Authority decided to accept the recommendations of 525th SEAC meeting dtd.10.11.21 with special conditions and accord Prior Environmental Clearance for proposed "Construction of New Commercial Building Project "Royal Park" at Village & Tehsil - Rau, Dist. Indore (MP) Total Plot Area - 7219.260 sqm, Total Proposed Built-up Area - 28849.71 sqm by M/s Monarch Developers, Kharsa No. 288/1, Rau, Dist. Indore, MP,subject to following specific conditions imposed by SEIAA:-

(1) The entire demand of water should be met through Municipal Corporation and there should be no extraction of ground water.

(2) The inlet and outlet point of natural drain system should be maintained with adequate size of channel for ensuring unrestricted flow of water.

(3) Before execution of project obtain statutory permission of National Board of Wild Life and submit the copy to MPSEIAA.

(4) **Waste water management:-**

(a) PP should ensure linkage with municipal sewer line for disposal of waste water.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(b) Project Proponent shall ensure regular operation and maintenance of the STP.

(c) Zero discharge should be maintained by recycling of waste water with using tertiary treatment with MBBR technology.

(d) The Project Proponent shall explore the possibilities of reusing the treated wastewater from nearby projects.

(5) **Solid Waste Management:-**

(a) Ensure linkage with Municipal Corporation for final disposal of MSW.

(b) Provide compactors for MSW.

(c) Separate wet and dry bins must be provided for facilitating segregation of waste.

(d) All non-biodegradable waste shall be handed over to authorized recyclers for which a written tie up must be done with the authorized recyclers.

(e) A separate segregation area will be earmarked for the storage of waste. This waste should be disposed off through vendors for reuse or recycled.

(6) **Traffic management:-**

(a) PP should ensure road width, front MOS and side / rear as per MPBVR 2012.

(b) Traffic congestion near the entry and exit points from the roads adjoining the proposed project site shall be avoided.

(c) No public space including the service road shall be used or blocked for the parking and the trained staff shall be deployed to guide the visitors for parking.

(7) **For firefighting:-**

(a) PP should ensure connectivity to the fire station from the project site and provide necessary fire fighting equipments for fire hazards.

(b) As per MPBVR, 2012 rule 42 (3) PP should submit necessary drawings and details to the Authority (Nagar Nigam, Indore) incorporating all the fire fighting measures recommended in National Building Code Part – IV point no. 3.4.6.1. The occupancy permit shall be issued by Nagar Nigam only after ensuring that all fire fighting measures are physically in place.

(c) Underground fire water storage tanks of adequate capacity shall be provided as proposed. Adequate provision shall be made to ensure that water from the Fire Water Tank shall not be used for any other purpose.

(d) Dedicated power back up system shall be provided in the case of power failure & emergency of fire water pumps.

(e) Sufficient peripheral open passage shall be kept in the margin area for free movement of fire tender/ emergency vehicle around the premises.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(8) **Parking:-**

(a) PP should ensure to provide car parking an area of 10943.12 sq.m for parking 312 ECS.

(b) The area earmarked for the parking shall be used for parking only. No other activity shall be permitted in this area.

(9) **Green belt :-**

(a) PP should ensure to plant 55 trees at project site, and additional 545 more trees, with consultation of nearest DFO and submit the same during submission of compliance report as committed.

(b) PP should ensure two rows peripheral plantation (2 mt. high plants) all around the property area. Avenue plantation along the roads and formal garden area, trees of indigenous local varieties like Neem, Peepal, Kadam, Karanj, Kachnaar etc. should be planted.

(c) PP should ensure to initiate plantation in the project site during construction.

(10) The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility. The project proponent shall adhere to the commitments made in the proposal for spending Rs. 58 lakhs on CER activities.

(11) All the activities must be completed with the completion of the project.

21. प्रकरण क्र. 2811/2021: परियोजना प्रस्तावक श्री माणक पटेल आत्मज श्री देवीसिंह पटेल, बांदरकच्छ, पोस्ट रणगांव, तहसील ठीकरी, जिला बडवानी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), एरिया 1.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 10260 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 435/1/1/1/1/ख, ग्राम बडसलाय, तहसील ठीकरी, जिला बडवानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण श्री पवन कुमार अग्रवाल निवासी मकान न. 108/3, वार्ड नं. 4, मेन रोड़, गोकुल धाम, ग्राम बरूफाटक, तहसील टिकरी, जिला बडवानी (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में पत्थर खदान एरिया 1.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 10260 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 435/1/1/1/1/ख, ग्राम बडसलाय, तहसील ठीकरी, जिला बडवानी (म.प्र.) की श्री माणक पटेल आत्मज श्री देवीसिंह पटेल, बांदरकच्छ, पोस्ट रणगांव, तहसील ठीकरी, जिला बडवानी (म.प्र.) को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) उक्त प्रकरण में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 9518/एसईआईएए/15 दिनांक 18.12.2015 के माध्यम से श्री माणक पटेल आत्मज श्री देवीसिंह पटेल, बांदरकच्छ, पोस्ट रणगांव, तहसील ठीकरी, जिला बडवानी (म.प्र.) के नाम पर जारी की गई है।

(3) **यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–**

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री माणक पटेल आत्मज श्री देवीसिंह पटेल, बांदरकच्छ, पोस्ट रणगांव, तहसील ठीकरी, जिला बडवानी (म.प्र.) द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री पवन कुमार अग्रवाल निवासी मकान न. 108/3, वार्ड नं. 4, मेन रोड़, गोकुल धाम, ग्राम बरूफाटक, तहसील टिकरी, जिला बडवानी (म.प्र.) के नाम पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

II. श्री पवन कुमार अग्रवाल निवासी मकान न. 108/3, वार्ड नं. 4, मेन रोड़, गोकुल धाम, ग्राम बरूफाटक, तहसील टिकरी, जिला बडवानी (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 9518/एसईआईएए/15 दिनांक 18.12.2015 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बड़वानी के आदेश क्र. 309/खनिज/2017 दिनांक 07.04.2021 (वैधता 12.10.2020 तक) की प्रति एवं लीज नवीनीकरण पत्र क्र. 318/खनिज/2021 दिनांक 19.03.2021 (वैधता 12.10.2020 से 10 वर्ष) की प्रति।

(4) ईआईए अधिसूचना 2006 के पैरा –11 में पर्यावरण मंजूरी (ईसी) को हस्तांतरित करने का प्रावधान है।

Para-11:- *A prior environmental clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written "no objection" by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior environmental clearance was initially granted, and for the same validity period. No reference to the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases*

(5) ईआईए अधिसूचना 2006 (संशोधन दिनांक 13.07.2021) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 8ए की उप–धारा (6) के अनुसार प्रदान करती है कि :

"Notwithstanding anything contained in sub-sections (2), (3) and sub-section (4), the period of lease granted before the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 (10 of 2015), where mineral is used for other than captive purpose, shall be extended and be deemed to have been extended up to a period ending on the 31st March, 2020 with effect from the date of expiry of the period of renewal last made or till the completion of renewal period, if any, or a period of fifty years from the date of grant of such lease, whichever is later, subject to the condition that all the terms and conditions of the lease have been complied with"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं अवलोकन के बाद निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज हस्तांतरण दिनांक 07.04.2017 के उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण हेतु आवेदन 04 वर्ष के बाद विलम्ब से क्यों किया

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

गया का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें एवं इस दौरान उक्त खनिज पट्टे में कोई उत्खनन कार्य नहीं किया गया है का सत्यापन जिला खनिज अधिकारी से अभिप्रमाणित कराकर प्रस्तुत करें। उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरांत ही पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांरण पर विचार किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक को सूचित करें।

22. प्रकरण क्र. 8849/2021: परियोजना प्रस्तावक श्री अजब सिहं आत्मज श्री हरि नारायण सिहं, निवासी ग्राम बपाचादौनिया, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), एरिया 2.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 8550 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 509 ग्राम बपाचादौनिया, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण श्री विजेन्द्र सिंह आत्मज श्री करण सिंह, ग्राम अरनियारम, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में पत्थर खदान एरिया 2.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 8550 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 509 ग्राम बपाचादौनिया, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.) की श्री अजब सिहं आत्मज श्री हरि नारायण सिहं, निवासी ग्राम बपाचादौनिया, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.) को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) उक्त प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति डीईआईएए द्वारा पत्र क्र. 2200/डीईआईएए/17 दिनांक 13.12.2017 के माध्यम से श्री अजब सिहं आत्मज श्री हरि नारायण सिहं, निवासी ग्राम बपाचादौनिया, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.) के नाम पर जारी की गई है।

(3) **यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–**

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री अजब सिहं आत्मज श्री हरि नारायण सिहं, निवासी ग्राम बपाचादौनिया, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री विजेन्द्र सिंह आत्मज श्री करण सिंह, ग्राम अरनियारम, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.) के नाम पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

II. श्री विजेन्द्र सिंह आत्मज श्री करण सिंह, ग्राम अरनियारम, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. डीईआईएए द्वारा पत्र क्र. 2200/डीईआईएए/17 दिनांक 13.12.2017 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सीहोर के पत्र क्र. 2077/खनिज/2018 दिनांक 27.09.2018 (वैधता 08.05.2024 तक) की प्रति।

(4) ईआईए अधिसूचना 2006 के पैरा –11 में पर्यावरण मंजूरी (ईसी) को हस्तांतरित करने का प्रावधान है।

Para-11:- *A prior environmental clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written "no objection" by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior environmental clearance was initially granted, and for the same validity period. No reference to the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases*

(5) ईआईए अधिसूचना 2006 (संशोधन दिनांक 13.07.2021) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 8ए की उप–धारा (6) के अनुसार प्रदान करती है कि :

"Notwithstanding anything contained in sub-sections (2), (3) and sub-section (4), the period of lease granted before the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 (10 of 2015), where mineral is used for other than captive purpose, shall be extended and be deemed to have been extended up to a period ending on the 31st March, 2020 with effect from the date of expiry of the period of renewal last made or till the completion of renewal period, if any, or a period of fifty years from the date of grant of such lease, whichever is later, subject to the condition that all the terms and conditions of the lease have been complied with"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं अवलोकन के बाद निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज हस्तांतरण दिनांक 27.09.2018 के उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण हेतु आवेदन 03 वर्ष के बाद विलम्ब से क्यों किया गया का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें एवं इस दौरान उक्त खनिज पट्टे में कोई उत्खनन कार्य नहीं किया गया है का सत्यापन जिला खनिज अधिकारी से अभिप्रमाणित कराकर प्रस्तुत करें। उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरांत ही पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांरण पर विचार किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक को सूचित करें।

23. प्रकरण क्र. 6136/2019: परियोजना प्रस्तावक श्री राजा मोर आत्मज श्री विष्णु प्रसाद मोर, निवासी बस स्टेण्ड, सिहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), एरिया 3.450 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 45203 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 198 ग्राम मिढ़ासन, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण श्री नरेन्द्र कुमार रजक आत्मज श्री बलदेव प्रसाद रजक, निवासी 578 नया 864, पुरानी मछरहाई, जिला जबलपुर (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), एरिया 3.450 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 45203 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 198 ग्राम मिढ़ासन, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.) की श्री राजा मोर आत्मज श्री विष्णु प्रसाद मोर, निवासी बस स्टेण्ड, सिहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.) को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(2) उक्त प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 1198/एसईआईएए/19 दिनांक 20.06.2019 के माध्यम से श्री राजा मोर आत्मज श्री विष्णु प्रसाद मोर, निवासी बस स्टेण्ड, सिहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.) के नाम पर जारी की गई है।

(3) **यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–**

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री राजा मोर आत्मज श्री विष्णु प्रसाद मोर, निवासी बस स्टेण्ड, सिहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री नरेन्द्र कुमार रजक आत्मज श्री बलदेव प्रसाद रजक, निवासी 578 नया 864, पुरानी मछरहाई, जिला जबलपुर (म.प्र.) के नाम पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

II. श्री नरेन्द्र कुमार रजक आत्मज श्री बलदेव प्रसाद रजक, निवासी 578 नया 864, पुरानी मछरहाई, जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 1198/एसईआईएए/19 दिनांक 20.06.2019 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जबलपुर के पत्र क्र. 1158/खनिज/क्यू.एल./2019 दिनांक 12.12.2019 (वैधता 16.01.2021 तक) की प्रति एवं लीज नवीनीकरण पत्र क्र. 5586/खनिज/क्यू.एल./2020 दिनांक 28.12.2020 (वैधता 16.01.2023 तक) की प्रति।

(4) ईआईए अधिसूचना 2006 के पैरा –11 में पर्यावरण मंजूरी (ईसी) को हस्तांतरित करने का प्रावधान है।

Para-11:- *A prior environmental clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written "no objection" by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior environmental clearance was initially granted, and for the same validity period. No reference to the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases*

(5) ईआईए अधिसूचना 2006 (संशोधन दिनांक 13.07.2021) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 8ए की उप–धारा (6) के अनुसार प्रदान करती है कि :

"Notwithstanding anything contained in sub-sections (2), (3) and sub-section (4), the period of lease granted before the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 (10 of 2015), where mineral is used for other than captive purpose, shall be extended and be deemed to have been extended up to a period ending on the 31st March, 2020 with effect from the date of expiry of the

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

period of renewal last made or till the completion of renewal period, if any, or a period of fifty years from the date of grant of such lease, whichever is later, subject to the condition that all the terms and conditions of the lease have been complied with"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं अवलोकन के बाद निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज हस्तांतरण दिनांक 12.12.2019 के उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण हेतु आवेदन 02 वर्ष के बाद विलम्ब से क्यों किया गया का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें एवं इस दौरान उक्त खनिज पट्टे में कोई उत्खनन कार्य नहीं किया गया है का सत्यापन जिला खनिज अधिकारी से अभिप्रमाणित कराकर प्रस्तुत करें। उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरांत ही पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांरण पर विचार किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक को सूचित करें।

24. प्रकरण क्र. 8729/2019: 8729/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्री तनुज बोहरा आत्मज श्री पुखराज बोहरा, निवासी – जैन मंदिर रोड़, किला, आष्ठा, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 2.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 5001 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 52/9, ग्राम अहमदपुर, तहसील आष्ठा, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

उक्त प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 699वी बैठक दिनांक 29.12.2021 में निर्णय लिया गया :–.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/आरक्यूपी/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 531वीं बैठक दिनांक 06.12.2021 की अनुशंसा को मान्य करते हुएपर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला सीहोर के एकल प्रमाण पत्र क्र 2365 दिनांक 09.09.2021 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होना बताया गया है, यद्यपि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार प्रस्तावित खदान से 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान भी होना परिलक्षित है।

अतः प्रकरण में खनिज अधिकारी, सीहोर से प्रस्तावित खदान से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित अन्य खदानों की वास्तविक स्थिति 30 दिवस में प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 18.01.2022 के माध्यम से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित अन्य खदानों की वास्तविक स्थिति के संबंध में खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सीहोर का पत्र क्र. 182 दिनांक 14.01.2022 प्रस्तुत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 531वी बैठक दिनांक 06.12.2021 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खदान क्षेत्र के चारो ओर की जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

III. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Waves) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम तीन वर्षो में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 2400 पौधे जैसे शिशम, बेल, खेर, चिरूल, नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज, कटंग बांस, अमलतास, नींबू, पपीता, मुनगा करोंदा, सीताफल, जंगल जलेबी, गिलोय, तुलसी, एलोबेरा आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड एवं मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम अहमदपुर व रज्जाकपुर के शासकीय प्राथमिक स्कूल में 02 कम्प्यूटर प्रदाय किये जायें।
- ग्राम अहमदपुर, घनश्यामपुरा एवं जगमालपुरा के शासकीय स्कूल में 01 वाटर कूलर व स्टेशनरी प्रदाय की जाये एवं 01 रैनवाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर सोकपिट सहित निर्माण किया जाये।
- ग्राम अहमदपुर में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री तनुज बोहरा आत्मज श्री पुखराज बोहरा, निवासी – जैन मंदिर रोड़, किला, आष्ठा, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 2.00

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 5001 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 52/9, ग्राम अहमदपुर, तहसील आष्ठा, जिला सीहोर (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सीहोर के पत्र क्रं. 1411 दिनांक 15.07.2021 के अनुसार उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 14.07.2031 तक वैधता मान्य रहेगी।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सम्मिलित अतिरिक्त कार्यबिन्दु (एजेण्डा):–

25. प्रकरण क्र. 8765/2021 : परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सैनिक फूड्स प्रा.लि. द्वारा श्री यतेन्द्र कुमार, महोल्ला टाकीसराई, हरीनगर, जिला – बिजनौर (उ.प्र.) द्वारा रेत खदान, एरिया 2.50 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 70200 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 19, ग्राम गुवाडी, तहसील – शाहपुर, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, अधिकृत व्यक्ति श्री अनिल कुमार अग्रहरी, चाणक्यपुरी कॉलोनी, जिला सतना (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

उक्त प्रकरण पर राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 696वी बैठक दिनांक 10.12.2021 विस्तृत चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में रेत खदान एरिया 2.50 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 70200 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 19, ग्राम गुवाडी, तहसील – शाहपुर, जिला बैतूल (म.प्र.) की मेसर्स सैनिक फूड्स प्रा.लि. द्वारा श्री यतेन्द्र कुमार, महोल्ला टाकीसराई, हरीनगर, जिला – बिजनौर (उ.प्र.) को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) उक्त प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति डीईआईएए द्वारा पत्र क्र. 103/डीईआईएए/17 दिनांक 17.02.2017 के माध्यम से मेसर्स सैनिक फूड्स प्रा.लि. द्वारा श्री यतेन्द्र कुमार, महोल्ला टाकीसराई, हरीनगर, जिला – बिजनौर (उ.प्र.) के नाम पर जारी की गई है।

*(3) **यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–***

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सैनिक फूड्स प्रा.लि. द्वारा श्री यतेन्द्र कुमार, महोल्ला टाकीसराई, हरीनगर, जिला – बिजनौर (उ.प्र.) के एवज में सहायक खनिज अधिकारी, बैतूल द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, अधिकृत व्यक्ति श्री अनिल कुमार अग्रहरी, चाणक्यपुरी कॉलोनी, जिला सतना (म.प्र.) के नाम पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

II. मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, अधिकृत व्यक्ति श्री अनिल कुमार अग्रहरी, चाणक्यपुरी कॉलोनी, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. डीईआईएए द्वारा पत्र क्र. 102/डीईआईएए/17 दिनांक 17.02.2017 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

VI. *खनिज साधन विभाग, भोपाल द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 496/132/2020/12/1 दिनांक 07.04.2021 (वैधता 30.06.2023 तक) की प्रति।*

VII. *सहायक खनिज अधिकारी बैतूल द्वारा शपथ पत्र में दर्शाये गये अनुसार पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सैनिक फूड्स प्रा.लि. के विरूद्ध न्यायालय कलेक्टर बैतूल में रेत मात्रा 48600 घनमीटर का अवैध उत्खनन किये जाने का प्रकरण वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।*

(4) *ईआईए अधिसूचना 2006 के पैरा –11 में पर्यावरण मंजूरी (ईसी) को हस्तांतरित करने का प्रावधान है।*

Para-11:- A prior environmental clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written "no objection" by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior environmental clearance was initially granted, and for the same validity period. No reference to the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases

(5) *ईआईए अधिसूचना 2006 (संशोधन दिनांक 13.07.2021) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 8ए की उप–धारा (6) के अनुसार प्रदान करती है कि :*

"Notwithstanding anything contained in sub-sections (2), (3) and sub-section (4), the period of lease granted before the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 (10 of 2015), where mineral is used for other than captive purpose, shall be extended and be deemed to have been extended up to a period ending on the 31st March, 2020 with effect from the date of expiry of the period of renewal last made or till the completion of renewal period, if any, or a period of fifty years from the date of grant of such lease, whichever is later, subject to the condition that all the terms and conditions of the lease have been complied with"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन जमा किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं अवलोकन के बाद निर्णय लिया गया कि ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधानों के परिपालन में प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार एवं एसईआईएए में ऑनलाईन एवं हार्डकॉपी सहित प्रस्तुत करने के उपरांत पर्यावरण स्वीकृति को हस्तांतरण किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

प्रकरण में SEIAA समिति की 696वी बैठक दिनांक 10.12.2021 में लिये गये निर्णयानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत फार्म–7 के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज एवं नोटराईज्ड शपथ पत्र पर पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन किये जाने एवं खनिज अधिकारी बैतूल द्वारा नोटराईज्ड शपथ पत्र के माध्यम से पूर्व परियोजना प्रस्तावक की ओर से दी गई अनापत्ति प्रमाण पत्र का परीक्षण किया गया।

विस्तृत विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के परिप्रेक्ष्य में खनिज अधिकारी बैतूल द्वारा नोटराईज्ड शपथ पत्र के माध्यम से पूर्व परियोजना प्रस्तावक की ओर से दी गई अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर डीईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 102/डीईआईएए/17 दिनांक 17.02.2017 मेसर्स सैनिक फूड्स प्रा.लि. द्वारा श्री यतेन्द्र कुमार, महोल्ला टाकीसराई, हरीनगर, जिला – बिजनौर (उ.प्र.) के नाम पर रेत खदान, एरिया 2.50 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 70200 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 19, ग्राम गुवाडी, तहसील – शाहपुर, जिला बैतूल (म.प्र.) की जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, अधिकृत व्यक्ति श्री अनिल कुमार अग्रहरी, चाणक्यपुरी कॉलोनी, जिला सतना (म.प्र.) के नाम इस शर्त पर जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 12.02.2017 में निहित समस्त शर्ते एवं वैधता यथावत रहेगी एवं नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी। परियोजना प्रस्तावक एवं सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

26. प्रकरण क्र. 3083/2015 : परियोजना प्रस्तावक मेसर्स डिजियाना इण्डस्ट्रीज प्रा.लि., श्री तेजेन्दर सिंह, जी–1, सपना चेम्बर, साउथ तुकोगंज, जिला – इन्दौर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, एरिया 14.050 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,10,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 1, 38, ग्राम दौडी मालवर, तहसील – शाहपुर/घोडाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, अधिकृत व्यक्ति श्री अनिल कुमार अग्रहरी, चाणक्यपुरी कॉलोनी, जिला सतना (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

उक्त प्रकरण पर राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 696वी बैठक दिनांक 10.12.2021 विस्तृत चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में रेत खदान एरिया 14.050 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,10,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 1, 38, ग्राम दौडी मालवर, तहसील – शाहपुर/घोडाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.) की मेसर्स डिजियाना इण्डस्ट्रीज प्रा.लि., श्री तेजेन्दर सिंह, जी–1, सपना चेम्बर, साउथ तुकोगंज, जिला – इन्दौर (म.प्र.) को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) उक्त प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 5637/एसईआईएए/15 दिनांक 16.09.2015 के माध्यम से मेसर्स डिजियाना इण्डस्ट्रीज प्रा.लि., श्री तेजेन्दर सिंह, जी–1, सपना चेम्बर, साउथ तुकोगंज, जिला – इन्दौर (म.प्र.) के नाम पर जारी की गई है।

*(3) **यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–***

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स डिजियाना इण्डस्ट्रीज प्रा.लि., श्री तेजेन्दर सिंह, जी–1, सपना चेम्बर, साउथ तुकोगंज, जिला – इन्दौर (म.प्र.) के एवज में सहायक खनिज अधिकारी, बैतूल द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, अधिकृत व्यक्ति श्री अनिल कुमार अग्रहरी, चाणक्यपुरी कॉलोनी, जिला सतना (म.प्र.) के नाम पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

II. मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, अधिकृत व्यक्ति श्री अनिल कुमार अग्रहरी, चाणक्यपुरी कॉलोनी, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिशिचित किया जायेगा।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 5637/एसईआईएए/15 दिनांक 16.09.2015 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

V. *नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर अनुमोदित खनन योजना की प्रति।*

VI. *खनिज साधन विभाग, भोपाल द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 1498/132/2020/12/1 दिनांक 07.04.2021 (वैधता 30.06.2023 तक) की प्रति।*

VIII. *सहायक खनिज अधिकारी बैतूल द्वारा शपथ पत्र में दर्शाये गये अनुसार पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स डिजियाना इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. के विरूद्ध न्यायालय कलेक्टर बैतूल में रेत मात्रा 171.36 घनमीटर का अवैध उत्खनन किये जाने का प्रकरण वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।*

(4) ईआईए अधिसूचना 2006 के पैरा –11 में पर्यावरण मंजूरी (ईसी) को हस्तांतरित करने का प्रावधान है।

Para-11:- A prior environmental clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written "no objection" by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior environmental clearance was initially granted, and for the same validity period. No reference to the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases

(5) ईआईए अधिसूचना 2006 (संशोधन दिनांक 13.07.2021) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 8ए की उप–धारा (6) के अनुसार प्रदान करती है कि :

"Notwithstanding anything contained in sub-sections (2), (3) and sub-section (4), the period of lease granted before the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 (10 of 2015), where mineral is used for other than captive purpose, shall be extended and be deemed to have been extended up to a period ending on the 31st March, 2020 with effect from the date of expiry of the period of renewal last made or till the completion of renewal period, if any, or a period of fifty years from the date of grant of such lease, whichever is later, subject to the condition that all the terms and conditions of the lease have been complied with"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन जमा किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं अवलोकन के बाद निर्णय लिया गया कि ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधानों के परिपालन में प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार एवं एसईआईएए में ऑनलाईन एवं हार्डकॉपी सहित प्रस्तुत करने के उपरांत पर्यावरण स्वीकृति को हस्तांतरण किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

प्रकरण में SEIAA समिति की 696वी बैठक दिनांक 10.12.2021 में लिये गये निर्णयानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत फार्म–7 के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज एवं नोटराईज्ड शपथ पत्र पर पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन किये जाने एवं खनिज अधिकारी बैतूल द्वारा नोटराईज्ड शपथ पत्र के माध्यम से पूर्व परियोजना प्रस्तावक की ओर से दी गई अनापत्ति प्रमाण पत्र का परीक्षण किया गया।

विस्तृत विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के परिप्रेक्ष्य में खनिज अधिकारी बैतूल द्वारा नोटराईज्ड शपथ पत्र के माध्यम से पूर्व परियोजना प्रस्तावक की ओर से दी गई अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर एसईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 5637/एसईआईएए/15 दिनांक 16.09.2015 मेसर्स डिजियाना इण्डस्ट्रीज प्रा.लि., श्री तेजेन्दर सिंह, जी–1, सपना चेम्बर, साउथ तुकोगंज, जिला – इन्दौर (म.प्र.) के नाम पर रेत खदान, एरिया 14.050 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,10,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 1, 38, ग्राम दौडी मालवर, तहसील – शाहपुर/घोडाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.) की जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, अधिकृत व्यक्ति श्री अनिल कुमार अग्रहरी, चाणक्यपुरी कॉलोनी, जिला सतना (म.प्र.) के नाम इस शर्त पर जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि पर्यावरणीय स्वीकृति

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

दिनांक 16.09.2015 में निहित समस्त शर्ते एवं वैधता यथावत रहेगी एवं नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी। परियोजना प्रस्तावक एवं सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

27. प्रकरण क्र. 5431/2016 : परियोजना प्रस्तावक मेसर्स राज कन्स्ट्रक्शन, श्री राजेश गावण्डे, प्रताप वार्ड, जिला – बैतूल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, एरिया 7.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 20,663 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 373, 1395, ग्राम घोडाडोंगरी, तहसील –घोडाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, अधिकृत व्यक्ति श्री अनिल कुमार अग्रहरी, चाणक्यपुरी कॉलोनी, जिला सतना (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

उक्त प्रकरण पर राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 696वी बैठक दिनांक 10.12.2021 विस्तृत चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में रेत खदान एरिया 7.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 20,663 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 373, 1395, ग्राम घोडाडोंगरी, तहसील –घोडाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.) की मेसर्स राज कन्स्ट्रक्शन, श्री राजेश गावण्डे, प्रताप वार्ड, जिला – बैतूल (म.प्र.) को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) उक्त प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 4633/एसईआईएए/16 दिनांक 05.12.2016 के माध्यम से मेसर्स राज कन्स्ट्रक्शन, श्री राजेश गावण्डे, प्रताप वार्ड, जिला – बैतूल (म.प्र.) के नाम पर जारी की गई है।

*(3) **यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–***

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स राज कन्स्ट्रक्शन, श्री राजेश गावण्डे, प्रताप वार्ड, जिला – बैतूल (म.प्र.) के एवज में सहायक खनिज अधिकारी, बैतूल द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, अधिकृत व्यक्ति श्री अनिल कुमार अग्रहरी, चाणक्यपुरी कॉलोनी, जिला सतना (म.प्र.) के नाम पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

II. मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, अधिकृत व्यक्ति श्री अनिल कुमार अग्रहरी, चाणक्यपुरी कॉलोनी, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 4633/एसईआईएए/16 दिनांक 05.12.2016 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

IX. खनिज साधन विभाग, भोपाल द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 1494/132/2020/12/1 दिनांक 07.04.2021 (वैधता 30.06.2023 तक) की प्रति।

(4) ईआईए अधिसूचना 2006 के पैरा –11 में पर्यावरण मंजूरी (ईसी) को हस्तांतरित करने का प्रावधान है।

Para-11:- A prior environmental clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written "no objection" by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior environmental clearance was initially granted, and for the same validity period. No reference to the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases

(5) ईआईए अधिसूचना 2006 (संशोधन दिनांक 13.07.2021) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 8ए की उप–धारा (6) के अनुसार प्रदान करती है कि :

"Notwithstanding anything contained in sub-sections (2), (3) and sub-section (4), the period of lease granted before the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 (10 of 2015), where mineral is used for other than captive purpose, shall be extended and be deemed to have been extended up to a period ending on the 31st March, 2020 with effect from the date of expiry of the period of renewal last made or till the completion of renewal period, if any, or a period of fifty years from the date of grant of such lease, whichever is later, subject to the condition that all the terms and conditions of the lease have been complied with"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन जमा किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं अवलोकन के बाद निर्णय लिया गया कि ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधानों के परिपालन में प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार एवं एसईआईएए में ऑनलाईन एवं हार्डकॉपी सहित प्रस्तुत करने के उपरांत पर्यावरण स्वीकृति को हस्तांतरण किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

प्रकरण में SEIAA समिति की 696वी बैठक दिनांक 10.12.2021 में लिये गये निर्णयानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत फार्म–7 के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज एवं नोटराईज्ड शपथ पत्र पर पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन किये जाने एवं खनिज अधिकारी बैतूल द्वारा नोटराईज्ड शपथ पत्र के माध्यम से पूर्व परियोजना प्रस्तावक की ओर से दी गई अनापत्ति प्रमाण पत्र का परीक्षण किया गया।

विस्तृत विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के परिप्रेक्ष्य में खनिज अधिकारी बैतूल द्वारा नोटराईज्ड शपथ पत्र के माध्यम से पूर्व परियोजना प्रस्तावक की ओर से दी गई अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर एसईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 4633/एसईआईएए/16 दिनांक 05.12.2016 मेसर्स राज कन्स्ट्रक्शन, श्री राजेश गावण्डे, प्रताप वार्ड, जिला – बैतूल (म.प्र.) के नाम पर रेत खदान, एरिया 7.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 20,663 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 373, 1395, ग्राम घोडाडोंगरी, तहसील –घोडाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.) की जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, अधिकृत व्यक्ति श्री अनिल कुमार अग्रहरी, चाणक्यपुरी कॉलोनी, जिला सतना (म.प्र.) के नाम इस शर्त पर जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 05.12.2016 में निहित समस्त शर्ते एवं वैधता यथावत रहेगी एवं नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार,

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी। परियोजना प्रस्तावक एवं सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

28. प्रकरण क्र. 5477/2016 : परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सैनिक फूड्स प्रा.लि. 1199 डी/13, तृतीय तल, स्ट्रीट नंम्बर 13, गोविन्दपुरी कलकाजी, नई दिल्ली–460001 द्वारा रेत खदान, एरिया 6.090 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 35,700 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 248, 141, 130, ग्राम आमधाना, तहसील –बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, अधिकृत व्यक्ति श्री अनिल कुमार अग्रहरी, चाणक्यपुरी कॉलोनी, जिला सतना (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

उक्त प्रकरण पर राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 696वी बैठक दिनांक 10.12.2021 विस्तृत चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में रेत खदान एरिया 6.090 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 35,700 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 248, 141, 130, ग्राम आमधाना, तहसील –बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.) की मेसर्स सैनिक फूड्स प्रा.लि. 1199 डी/13, तृतीय तल, स्ट्रीट नंम्बर 13, गोविन्दपुरी कलकाजी, नई दिल्ली–460001 को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) उक्त प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 5139/एसईआईएए/17 दिनांक 30.01.2017 के माध्यम से मेसर्स सैनिक फूड्स प्रा.लि. 1199 डी/13, तृतीय तल, स्ट्रीट नंम्बर 13, गोविन्दपुरी कलकाजी, नई दिल्ली–460001 के नाम पर जारी की गई है।

*(3) **यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–***

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सैनिक फूड्स प्रा.लि. 1199 डी/13, तृतीय तल, स्ट्रीट नंम्बर 13, गोविन्दपुरी कलकाजी, नई दिल्ली–460001 के एवज में सहायक खनिज अधिकारी, बैतूल द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, अधिकृत व्यक्ति श्री अनिल कुमार अग्रहरी, चाणक्यपुरी कॉलोनी, जिला सतना (म.प्र.) के नाम पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

II. मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, अधिकृत व्यक्ति श्री अनिल कुमार अग्रहरी, चाणक्यपुरी कॉलोनी, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 5139/एसईआईएए/17 दिनांक 30.01.2017 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

VI. खनिज साधन विभाग, भोपाल द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 1500/132/2020/12/1 दिनांक 07.04.2021 (वैधता 30.06.2023 तक) की प्रति।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(4) ईआईए अधिसूचना 2006 के पैरा –11 में पर्यावरण मंजूरी (ईसी) को हस्तांतरित करने का प्रावधान है।

Para-11:- A prior environmental clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written "no objection" by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior environmental clearance was initially granted, and for the same validity period. No reference to the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases

(5) ईआईए अधिसूचना 2006 (संशोधन दिनांक 13.07.2021) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 8ए की उप–धारा (6) के अनुसार प्रदान करती है कि :

"Notwithstanding anything contained in sub-sections (2), (3) and sub-section (4), the period of lease granted before the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 (10 of 2015), where mineral is used for other than captive purpose, shall be extended and be deemed to have been extended up to a period ending on the 31st March, 2020 with effect from the date of expiry of the period of renewal last made or till the completion of renewal period, if any, or a period of fifty years from the date of grant of such lease, whichever is later, subject to the condition that all the terms and conditions of the lease have been complied with"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन जमा किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं अवलोकन के बाद निर्णय लिया गया कि ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधानों के परिपालन में प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार एवं एसईआईएए में ऑनलाईन एवं हार्डकॉपी सहित प्रस्तुत करने के उपरांत पर्यावरण स्वीकृति को हस्तांतरण किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

प्रकरण में SEIAA समिति की 696वी बैठक दिनांक 10.12.2021 में लिये गये निर्णयानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत फार्म–7 के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज एवं नोटराईज्ड शपथ पत्र पर पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन किये जाने एवं खनिज अधिकारी बैतूल द्वारा नोटराईज्ड शपथ पत्र के माध्यम से पूर्व परियोजना प्रस्तावक की ओर से दी गई अनापत्ति प्रमाण पत्र का परीक्षण किया गया।

विस्तृत विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के परिप्रेक्ष्य में खनिज अधिकारी बैतूल द्वारा नोटराईज्ड शपथ पत्र के माध्यम से पूर्व परियोजना प्रस्तावक की ओर से दी गई अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर एसईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 5139/एसईआईएए/17 दिनांक 30.01.2017 मेसर्स सैनिक फूड्स प्रा.लि. 1199 डी/13, तृतीय तल, स्ट्रीट नंम्बर 13, गोविन्दपुरी कलकाजी, नई दिल्ली–460001 के नाम पर रेत खदान, एरिया 6.090 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 35,700 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 248, 141, 130, ग्राम आमधाना, तहसील –बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.) की जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, अधिकृत व्यक्ति श्री अनिल कुमार अग्रहरी, चाणक्यपुरी कॉलोनी, जिला सतना (म.प्र.) के नाम इस शर्त पर जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 30.01.2017 में निहित समस्त शर्ते एवं वैधता यथावत रहेगी एवं नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी। परियोजना प्रस्तावक एवं सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई ।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परिशिष्ट–1

गौण खनिज (रेत खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
2. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
4. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
7. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
8. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
9. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
10. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
12. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

15. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

16. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

परिशिष्ट–2

गौण खनिज (रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
3. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
4. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।
5. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जाये।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबद्धधता अनुसार जलभराव क्षेत्र को गैर–खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जायेगा।
7. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

8. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
9. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू–आकृति विज्ञान का एक कार्य है।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
13. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
16. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
19. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

20. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

परिशिष्ट–3

गौण खनिज (खोदू भरू रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
3. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
4. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
5. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
8. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
11. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

14. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

15. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष